राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना

मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन से जुड़े सवाल

एक सहभागी जमीनी अध्ययन

भोजन का अधिकार अभियान सहयोगी समूह (म.प्र.)

अध्ययन में शामिल संस्था / संगठन

- डिण्डोरी – भोजन का अधिकार अभियान, म.प्र.
- छतरपुर – भोजन का अधिकार अभियान, म.प्र.
- सिवनी – आदिवासी सुशासन संघ एवं भोजन का अधिकार अभियान, म.प्र.
- छिंदवाड़ा – नेहरू युवा विकास संगठ्न, तामिया एवं भोजन का अधिकार अभियान,म.प्र.
- रीवा – समाज चेतना अधिकार मंच, बिरसा मुण्डा भू अधिकार मंच एवं भोजन का अधिकार अभियान, म.प्र.
- सतना – जनसहयोग विकास परिषद, आदिवासी अधिकार मंच एवं भोजन का अधिकार अभियान, म.प्र.
- शिवपुरी – सहरिया जन गठबंधन
- अशोकनगर – मानव अधिकार फोरम
- गुना – मानव अधिकार फोरम
- धार – बाल सहायता दल
- झाबुआ – लोक जागृति मंच
- अलीराजपुर – नर्मदा बचाओ आंदोलन
- खण्डवा – स्पंदन समाज सेवी संस्था
- टीकमगढ़ – परहित समाजसेवी संस्था
- श्योपुर – मानव अधिकार फोरम
- भोपाल – भोजन का अधिकार अभियान, म.प्र.
- मंडला – विकल्प जन संघर्ष एवं भोजन का अधिकार अभियान, म.प्र.
- अनुपपुर – भोजन का अधिकार अभियान, म.प्र.
- सीधी – दलित आदिवासी महापंचायत
- पन्ना – बुंदेलखण्ड बुनियादी अधिकार मंच एवं भोजन का अधिकार अभियान, म.प्र.
- होशंगाबाद – मध्यप्रदेश दलित संघ
- उमरिया – राष्ट्रीय युवा संगठ्न

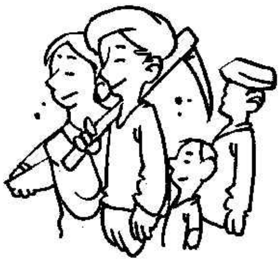

अनुक्रमणिका

अ	भूमिका – मेरे लिये काम नहीं	1
ब	प्रमुख बिन्दु एवं निष्कर्ष	3
1.	काम का अधिकार	7
2.	मजदूरी भुगतान	11
3.	खातों का खुलना	18
4.	कपिलधारा योजना	26
5.	कुछ अन्य व्यापक सवाल	34
संलग्नक क्र. 1	– काम का अधिकार (तालिका)	41
संलग्नक क्र. 2	– भुगतान में विलंब (तालिका)	42
संलग्नक क्र. 3	– कपिलधारा योजना (तालिका)	43
संलग्नक क्र. 4	– खाते खुलना (तालिका)	44
संलग्नक क्र. 5	– जिन गांवों में अध्ययन किया गया है उनकी सूची	45

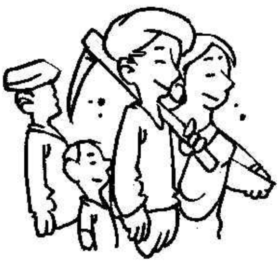

अ

मेरे लिये काम नहीं

आज से चार वर्ष पूर्व जबकि देश भर में रोजगार यात्रायें निकल रहीं थीं, उस समय इन यात्राओं में एक गीत गाया जाता था, जिसके बोल हैं ''मेरे लिये काम नहीं''। अंततः वर्ष 2005 में रोजगार गारंटी कानून आ गया और देश भर में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को साल भर में 100 दिन के काम की गारंटी मिली। इस कानून की मूल मंशा यही है कि लोगों को गांव में काम मिले, गांव में स्थाई परिसंपत्तियों का सृजन हो और पलायन रूके। महिला और पुरूषों को समान काम व समान मजूदरी मिले। इसके अलावा कई सारे ऐसे प्रावधान जो मजदूरों की हकदारी बुलंद करते हैं। इन सब प्रावधानों के मध्यनजर यह जनता के हितों को संरक्षण करने वाला कानून बना।

मगर आज कानून के क्रियानवयन के तीन वर्ष बाद ''क्या खोया क्या पाया'' की तर्ज पर इस कानून की समीक्षा करें तो हम पाते हैं कि रोजगार यात्राओं में गाये जाने वाले इस गीत के बोल तो आज भी प्रभावी है और लोगों के पास आज भी काम नहीं। पलायन बदस्तूर जारी है। यदि काम मिल भी गया तो लोगों को 6 से 8 माह तक मजदूरी नहीं मिली है। न ही मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है और न ही अन्य हकदारियां। मजदूरों को उनके श्रम का न्यूनतम मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। इस नजरिये से यह जनता के हितों को संरक्षित करने वाला कानून तो नहीं ही है।

इस साल जबकि सूखा पड़ा तो लगा कि रोजगार गारंटी योजना के चलते लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह पलायन पर भी नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। लोग भूखे सो रहे हैं। लोग कहते हैं कि वे पलायन पर जाना पसंद करते हैं लेकिन रोगायो में काम करने नहीं आते हैं। उनकी अपनी दिक्कते हैं, अपने तर्क हैं। लेकिन यह चिंताजनक बात सामने आई कि आखिर लोग क्यों नहीं काम पर जाना चाहते हैं ?आखिर ऐसे क्या कारण हैं ?

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (नरेगा) असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, विकास से वंचित क्षेत्रों और समतामूलक अधोसंरचनात्मक ढांचों के विकास के साथ-साथ पर्यावरण-मिट्टी संरक्षण के मामले में अब तक की सबसे एकीकृत और रचनात्मक कानूनी पहल है। हम सब जानते हैं कि इस कानून के जन्म के पीछे जनसंघर्षो की एक महती भूमिका रही है। इन्हीं विचारों को पृष्ठभूमि में रखते हुये भोजन का अधिकार अभियान विगत 3 वर्षों से लगातार एक निश्चित समयान्तराल पर इस योजना के संदर्भ में सघन जमीनी अध्ययन (रैपिड असेसमेंट सर्वे) करता रहा है।

कानून के तीन साल पूरे होने के बाद हम भोजन का अधिकार अभियान सहयोगी समूह व उससे संबद्ध समस्त संस्था/संगठनों ने यह जानने की कोशिश की वास्तव में दिक्कत कहां आ रही है तो हमने जमीनी स्तर पर जाकर अध्ययन किया। इस बार अप्रैल से जून 2009 की अवधि के बीच एक बार फिर ऐसा ही अध्ययन यह जानने के मकसद से किया गया कि व्यवस्थाओं और जवाबदेहिता के स्तर पर नरेगा की दिशा क्या है ?

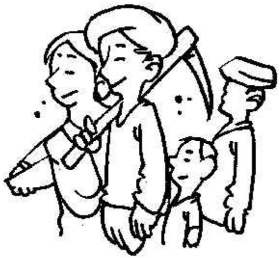

इस अध्ययन में हमने 23 जिलों के 25 ब्लॉक के 112 गांवों के 2765 वयक्तियों से प्रत्यक्ष बातचीत की। इस अध्ययन में हम कार्यस्थलों पर गये। समूह चर्चायें की। हमारे अधिकतर सवालों के जवाब समूह चर्चाओं से उभरे। इस विश्लेषण में हमने कई बार गांवों को आधार बनाया है तो कई बार हमने व्यक्तियों को आधार बनाया है। दरअसल जो लोगों ने कहा है हमने उसे ही पिरोने की कोशिश की। इस अध्ययन में हम किसी प्रारूप के साथ जमीन पर नहीं गये हैं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा खुली चर्चायें की। प्रशासनिक अधिकारियों से साक्षात्कार किये। पोस्टऑफिस और बैंक कर्मियों से बातचीत की। इस अध्ययन में हमने प्रमुख रूप से केस स्टडी पर ज्यादा ध्यान दिया है, जिससे हम जमीनी स्तर की सच्चाईयों को बेहतर तरीके से उकेर सकें। यह एक समन्वित प्रयास है जिसमें प्रदेश के 23 संस्था एवं संगठनों ने केन्द्रीय भूमिका निभाई है। हम सबकी मंशा है कि नरेगा अपने मूल कानूनी स्वरूप में अपने लक्षित वर्ग तक पहुंचे और उसे अपने लक्ष्य तक पहुचाने की दिशा में यह हमारी एक कोशिश है।

इस अध्ययन में पहला पक्ष ऐसा शामिल किया गया है जो रोजगार गारण्टी योजना के बेहद बुनियादी प्रावधान हैं – काम के लिये आवेदन दिया जाना और पावती मिलना। दूसरा पक्ष व्यवस्थागत मसलों से सम्बन्धित है – काम न मिलना और जॉब कार्ड या ऐसे कारण जिनसे काम नहीं मिलता है। फिर तीसरे पक्ष में मजदूरी के भुगतान में देरी, बैंक एवं डाक घरों के खातों के जरिये भुगतान की नई व्यवस्था के बेहद शुरूआती अनुभवों की पड़ताल करने की कोशिश की गई है। चौथे पक्ष में यह विश्लेषण करने की कोशिश की गई है कि क्या नरेगा का मौजूदा जमीनी क्रियान्वयन बेरोजगारी भत्ते और मजदूरी मुआवजा के अधिकार को पनपने दे रहा है या नहीं ? पांचवे पक्ष में कुछ व्यापक सवाल हैं।

इस अध्ययन की एक संक्षिप्त रिपोर्ट आपके समक्ष है। आशा है इस रिपोर्ट से उभरे बिन्दुओं पर आप सभी ध्यान देंगे और कुछ ठोस और सार्थक पहल की जायेगी। इस रिपोर्ट को हमने पांच प्रमुख भागों में विभाजित किया है, काम के लिये आवेदन, मजदूरी भुगतान, बैंक खाते न खुलना, कपिलधारा योजना और अंत में अन्य व्यापक सवाल जिसमें पारदर्शिता से जुडें मसलों को शामिल किया गया है।

हर हाथ को मिले काम, काम का मिले पूरा दाम ॥

॥ सहयोगी समूह की ओर से

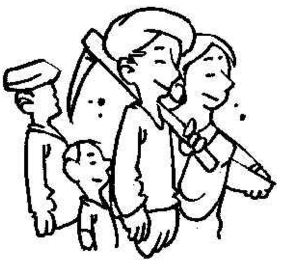

ब

प्रमुख बिन्दु एवं निष्कर्ष

अध्ययन विधि

इस अध्ययन में हमने 23 जिलों के 25 ब्लॉक के 112 गांवों के 2765 वयक्तियों से प्रत्यक्ष बातचीत की। इस अध्ययन में हम कार्यस्थलों पर गये। समूह चर्चायें की। हमारे अधिकतर सवालों के जवाब समूह चर्चाओं से उभरे। इस विश्लेषण में हमने कई बार गांवों को आधार बनाया है तो कई बार हमने व्यक्तियों को आधार बनाया है। दरअसल जो लोगों ने कहा है हमने उसे ही पिरोने की कोशिश की। इस अध्ययन में हम किसी प्रारूप के साथ जमीन पर नहीं गये हैं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा खुली चर्चायें की। प्रशासनिक अधिकारियों से साक्षात्कार किये। पोस्टऑफिस और बैंक कर्मियों से बातचीत की। इस अध्ययन में हमने प्रमुख रूप से केस स्टडी पर ज्यादा ध्यान दिया है, जिससे हम जमीनी स्तर की सच्चाईयों को बेहतर तरीके से उकेर सकें।

अध्ययन से उभरे प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं ।

1. काम का अधिकार

1.1 काम के लिये आवेदन

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रोगायो एक मांग आधारित योजना है, जिसके तहत् आवेदन देने पर ही काम मिलेगा। अध्ययन में सामने आया कि 23 जिलों के 112 गांवों के 2765 लोगों में से केवल 762 यानी 28 प्रतिशत लोगों ने ही काम के लिये आवेदन किया। बाकी 2003 व्यक्तियों यानी 72 प्रतिशत् लोगों ने काम के लिये आवेदन किया ही नहीं। ज्ञात हो कि काम के लिये आवेदन करने वालों की संख्या रीवा में सर्वाधिक 68 रही, जबकि गुना में सबसे कम रही, जहां 12 लोगों ने ही काम मांगा।

1.2 पावती

लोगों द्वारा आवेदन देकर काम की मांग करने पर उन्हें पावती दी जायेगी तथा उन्हें आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम दिया जायेगा। हमने पाया कि जबकि 762 लोगों ने आवेदन दिया था, लेकिन उसकी अपेक्षा पावती केवल 174 लोगों को यानी मात्र 23 फीसदी लोगों को ही मिली। जबकि 77 प्रतिशत लोगों को पावती नहीं मिली है। हम तालिका में देख सकते हैं कि छिंदवाड़ा, अशोकनगर व अलीराजपुर में क्रमशः 35,45 व 25 लोगों द्वारा आवेदन किये जाने के उपरांत भी उन्हें पावती नहीं दी गई।

1.3 काम का 15 दिनों में मिलना

मजदूरों द्वारा काम के आवेदन के 15 दिनों के बाद उन्हें काम मिलना अनिवार्य है, लेकिन न मिलने पर उन्हें बेरोजगारी भत्ते की पात्रता है। जमीनी स्थिति सामने यह आती है कि जिन लोगों ने आवेदन दिया उनमें से केवल 14 प्रतिशत से भी कम लोगों को आवेदन देने के बाद काम मिला जबकि 86 प्रतिशत लोगों को आवेदन देने के बाद भी काम नहीं मिला।

1.4 बेरोजगारी भत्ता

आवेदन देने और काम न मिल पाने की स्थिति में मजदूरों को बेरोजगारी भत्ते की पात्रता

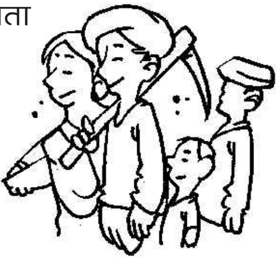

है। इसमें जमीनी सच्चाई यह सामने आई कि महज 30 लोगों को ही बेरोजगारी भत्ता मिला। यह भत्ता भी बड़वानी जिले में मिला। बड़वानी जिले में कार्यरत संगठन ने यह बेरोजगारी भत्ता हासिल किया। इसके अलावा कहीं भी किसी भी जगह पर लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला।

2. मजूदरी का भुगतान

2.1 भुगतान में विलंब

जैसा कि प्रावधान में स्पष्ट है कि काम खत्म होने के या काम के चलते भी काम किये जाने के उपरांत 7 से 15 दिवस के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य है। जमीनी स्थिति यह है कि एक भी गांव में काम करने के 7 से 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया।

2.2 माह में भुगतान

रोगायो के प्रावधानों के मुताबिक मजूदरी का भुगतान वैसे तो 7 से 15 दिनों में होना है लेकिन उसके बाद भी लोगों को 6 माह तक मजदूरी का भुगतान नही होता है। 2765 लोगों में 708 मजदूर यानी 25 प्रतिशत् मजदूर ऐसे है जो यह कहते हैं कि उनके गावं में कई कामों में मजदूरी का भुगतान 6-6 माह तक नहीं हुआ। डिण्डौरी जिले के चपवार पंचायत के जाड़ासुरंग गांव में मजदूरों को 8 माह से भुगतान नहीं हुआ है। होशंगाबाद, बड़वानी, छतरपुर और इसी तरह कई जिलों में यही स्थिति है।

2.3 मजदूरी मुआवजा अधिनियम 1936 के अंतर्गत मुआवजा

निर्धारित समयावधि में मजदूरी का भुगतान न होने की स्थिति में मजूदरों को मजदूरी मुआवजा अधिनियम, 1936 के तहत् मजदूरी मुआवजा पाने का हक है। यह मुआवजा दिनों के अनुसार हो सकता है। लेकिन जमीनी स्थिति यह बताती है कि किसी भी जगह पर मजदूरों को निर्धारित समयावधि में भुगतान न हाने की स्थिति में भी मुआवजा नहीं दिया गया है।

2.4 न्यूनतम मजूदरी

रोगायो में यह प्रावधान है कि मजदूर यदि टॉस्क रेट से काम करे या पीस रेट से काम करे, किसी भी सूरत में मजदूर को न्यूनतम मजूदरी से कम मजदूरी नहीं मिलनी चाहिये। लेकिन प्रदेश में कहीं पर भी ऐसा नहीं किया जा रहा है और देखने में आ रहा है कि प्रदेश में ‘‘जितना काम उतना दाम’’ का जुमला ही प्रभावी है।

3. खातों का खुलना

रोगायो में विगत तीन वर्षों में मजूदरी के भुगतान के कई अलग- अलग तरीके सामने आये जैसे पहले पंचायतों के माध्यम से सीधे भुगतान किया जाता था। जिसमें यह बात उभरकर आई कि इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार बहुत होता है लेकिन इसके बाद जो नई व्यवस्था आई वह यह कि हर एक मजदूर का उसके गांव के नजदीक पोस्ट ऑफिस/बैंक में जीरो बैलेंस पर खाता खोला जायेगा। इस नई व्यवस्था के अंर्तगत्

3.1 खातों का खुलना

अक्टूबर 2008 से यह व्यवस्था लागू हुई और जिसके चलते गांव के नजदीक ही मजदूरों के खाते खोले जाने के प्रावधान हैं, लेकिन मई 2009 में किये गये इस अध्ययन के

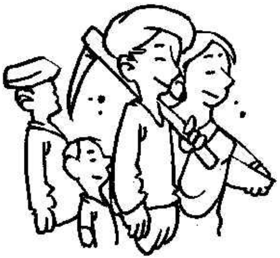

आधार पर केवल 472 यानी 17 फीसदी लोगों के खाते खुल पाये हैं बाकी 2293 यानी 83 फीसदी लोगों के खाते नहीं खुल पाये हैं।

3.2 हितग्राही द्वारा पैसे दिये जाना

जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि बैंकों में खाते निःशुल्क रूप से खुलना है, इसके लिये किसी भी व्यक्ति को कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई भी पैसा नहीं देना है। लेकिन जब हमने अध्ययन के दौरान 2765 व्यक्तियों से बातचीत की तो सभी ने किसी न किसी स्तर पर पैसे देने की बात स्वीकार की, चाहे वो खाते खुलवाने के नाम पर, चाहे फिर पासबुक जारी करने के नाम पर या फिर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर।

3.3 बैंक/पोस्ट ऑफिसों की स्थिति

बैंक/पोस्ट आफिसों की वर्तमान में स्थिति क्या है, क्या वे रोगायो के वर्तमान प्रारूप में प्रतिदिन लोगों को भुगतान करने के लिये तैयार हैं या नहीं ? इसके मायने यह है कि क्या बैंको की वर्तमान क्षमता इस तरह से है– कि वे मजदूरों को प्रतिदिन भुगतान कर सकें। स्टॉफ के लिहाज से या फिर प्रतिदिन का अन्य काम छोड़कर और दूसरा काम करने के लिहाज से आदि।

3.4 सुविधा पसंद / नापंसद

वर्तमान में लोगों को यह खाते वाली व्यवस्था बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है लेकिन ग्रामीणजन विकल्पहीन हैं। इस व्यवस्था से किसी गांव में जहां यदि लोगों के खाते खुल भी गये हैं तो भी यदि गांव के अन्य लोगों के खाते नहीं खुले हैं तो फिर जब तक गांव के समस्त लोगों के खाते नहीं खुलेंगे तब तक न तो लोगों को काम ही मिलेगा और न ही किये गये काम की मजदूरी का भुगतान। इसलिये 2494 यानी 90 प्रतिशत व्यक्ति यह कहते हैं कि उन्हें यह सुविधा पसंद नहीं आ रही है, जबकि केवल 271 व्यक्तियों यानी 10 प्रतिशत लोगों का ही कहना है कि उन्हें यह सुविधा पसंद आ रही है। ये 10 प्रतिशत लोग भी वे हैं जिनके कि गांव में ही पोस्टऑफिस या बैंक उपलब्ध हैं आदि।

4. कपिलधारा योजना

4.1 पुर्नभरण संरचनाओं का बनना

जैसा कि कपिलधारा में स्पष्ट है कि प्रत्येक कुयें के साथ पुर्नभरण संरचनायें (रीचार्ज स्ट्रक्चर) बनाना आवश्यक हैं लेकिन जब हम जमीनी स्थिति को देखते हैं तो हम पाते हैं कि कुल जमा 25 लोग ही बताते हैं कि हां, पुर्नभरण सरंचनायें बनी हैं। जबकि 2740 लोगों का कहना है कि कहीं कोई पुर्नभरण संरचनायें नहीं बनी हैं। गांव वाले यह भी कहते हैं कि उन्हें यह बताया ही नहीं गया है कि कपिलधारा योजना में किसी भी तरह की पुर्नभरण संरचनायें बननी हैं।

4.2 समस्त कुंओं का निर्माण कार्य पूर्ण

अभी देखा यह जा रहा है कि कपिलधारा योजना के अंतर्गत् गांवों में कपिलधारा के अधिकतर कुंओं का निर्माण या तो अधूरा है, या फिर कुंयें आधे बन कर ही खिसल गये हैं । जब गांवों में मजदूरों से इस तरह की बातचीत की गई तो यह सामने आया कि 90 गांवों यानी 80 प्रतिशत् गांवों में अधिकांश कुंओं का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। जबकि 22 गांव यानी 20 प्रतिशत् गांव के लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

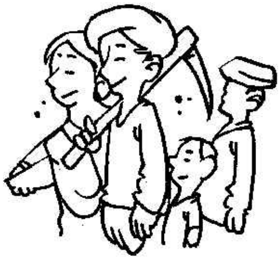

4.3 हितग्राही द्वारा पैसा दिया जाना

कपिलधारा योजना में हितग्राही को न तो पैसा मिलना है और न ही उसे पैसा लगाना है । लेकिन देखा यह जा रहा है कि अधिकांश जगहों पर राशि की व्यवस्था स्वयं हितग्राही द्वारा की गई है। 89 प्रतिशत यानी 2459 लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने खेतों में कुयें बनने के लिये स्वयं राशि दी है या फिर हितग्राही द्वारा राशि दिये जाने को वे स्वीकार करते हैं। महज 281 यानी 11 प्रतिशत लोग ही यह कहते हैं कि राशि नहीं दी गई है। होशंगाबाद, डिण्डौरी आदि जिलों में तो यह भी देखने में आया है कि लोगों ने कर्ज ले-लेकर भी यह राशि चुकाई है और उन्हें पंचायत की ओर से अभी तक कोई भी राशि नहीं मिली है।

4.4 मजदूरी का भुगतान

कपिलधारा योजनांर्तगत् लोगों को 6 माह बाद तक भी मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। केवल उमरिया, बड़वानी और अशोकनगर जिलों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर मजदूरी का भुगतान बिल्कुल नगण्य है। डिण्डौरी जिले के चपवार गांव में मजदूरों को 1 वर्ष से कपिलधारा योजनांर्तगत् बने कुओं की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। 23 जिलों की स्थिति देखें तो 657 यानी महज 24 प्रतिशत् व्यक्ति ही यह कहते हैं कि या तो उन्हें या फिर उनके गांव में लोगों को कपिलधारा योजना के अंर्तगत् लोगों को मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है।

5. कुछ अन्य व्यापक सवाल

5.1 सामाजिक अंकेक्षण

कुरई विकासखण्ड में कुल 62 पंचायत हैं जिसमें किसी भी पंचायत में विधिवत सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया नहीं चली। जिस संस्था (वैशाली) को यह कांट्रेक्ट (टेंडर) दिया गया है वह स्वच्छता अभियान में जिला प्रशासन द्वारा पहले से ही काली सूची में है।

5.2 सामाजिक बहिष्कार

राजनगर विकासखण्ड की कोटा पंचायत के लखरावन गांव में मजदूर भेदभाव और बहिष्कृत व्यवहार के भी शिकार हुये हैं। हरदीना ने साढ़े आठ बजे काम शुरू करने के बाद डेढ़ बजे भोजन के लिये समय मांगा था, तब सरपंच एवं सचिव ने यह कहकर कि ''तुम्हें बहुत भूख लगती है,'' काम से चले जाने को कहा गया और फिर इसके बाद उसे कभी काम पर नहीं रखा गया।

5.3 फर्जी सूचनायें दर्ज करना

सतना जिले के उचेहरा जनपद पंचायत के पिथौराबाद ग्राम पंचायत अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 एवं वित्तीय वर्ष 2007-08 में जाब कार्डधारियों को एक वर्ष में समना आदिवासी को 520 दिन का काम देना बताया जा रहा है जबकि प्रबंधन सूचना प्रणाली की फीडिंग आवेदक के जाब कार्ड की प्रविष्टियों से काफी असमानता है। इसी प्रकार लल्ला प्रसाद आदिवासी को वर्ष मे 441 दिन का काम देना बताया जा रहा है। जबकि जाब कार्ड की प्रविष्टियों में ऐसा नही है।

इसी के साथ-साथ मशीनों और ठेकेदारों का प्रयोग, अधूरे पड़े काम और योजना के अन्य प्रावधानों को भी टटोलने की कोशिश की है। उन्हें खंड 5 में ही देखा जा सकता है।

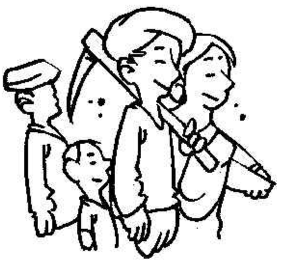

1

काम का अधिकार

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना एक मांग आधारित योजना है। इस योजना के अंतर्गत् अकुशल काम करने वाले लोगों द्वारा आवेदन देकर काम की मांग किये जाने पर निर्धारित 15 दिवस की समयावधि में पंचायत द्वारा काम दिया जाता है। निर्धारित समयावधि में काम न मिल पाने की स्थिति में मजदूरों को बेरोजगारी भत्ते की पात्रता है। यह भत्ता मजदूरों को तभी मिलेगा, जबकि उनके हाथ में पावती होगी। काम के लिये आवेदन देना, पावती लेना और फिर काम मिलना और बेरोजगारी भत्ते को लेकर हमने जमीनी स्थिति जानी। (**विस्तृत विश्लेषण तालिका के लिये देखें संलग्नक क्र.** 1)

काम के लिये आवेदन

आवेदन देकर काम पाने के प्रावधान की जमीनी स्थिति देखी तो हमने पाया कि 23 जिलों के 112 गांवों के 2765 लोगों में से केवल 762 यानी 28 प्रतिशत लोगों ने ही काम के लिये आवेदन किया। बाकी 2003 व्यक्तियों यानी 72 प्रतिशत् लोगों ने काम के लिये आवेदन किया ही नहीं। ज्ञात हो कि काम के लिये आवेदन करने वालों की संख्या रीवा में सर्वाधिक 68 रही, जबकि गुना में सबसे कम 12 लोगों ने ही काम मांगा। दरअसल जिन लोगों की संख्या काम के लिये दिये जाने वाले आवेदन के रूप में दर्शाई गई है, वह भी शासकीय रिकार्ड़ों में दर्ज संख्या है, वास्तव में वह संख्या नहीं है।

देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर जब कार्यस्थल पर जाते हैं तब काम खोलने वाले दिन उनसे काम खोलने के पहले आवेदन पर हस्ताक्षर करा लिये जाते हैं। इससे आवेदन की औपचारिकता तो पूरी कर ली जाती है लेकिन इसमें पावती नहीं मिलती है। इसे ही आवेदन माना जाता है। इसी से जुड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार जमीनी स्तर तक नहीं हुआ है जिससे लोगों को अभी तक ये जानकारी ही नही है कि काम के लिये आवेदन देना होता है और इस तरह वे अपनी हकदारियों से वंचित रह रहे हैं।

काम के लिये आवेदन पत्र (2765 व्यक्ति)	
हां	**नहीं**
762 (28 प्रतिशत)	2003 (72 प्रतिशत)

पावती

पावती (762व्यक्ति)	
मिली	**नहीं मिली**
174 (23 प्रतिशत)	588 (77 प्रतिशत)

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि लोगों द्वारा आवेदन देकर काम की मांग करने पर उन्हें पावती दी जायेगी तथा उन्हें आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम दिया जायेगा। हमने पाया कि जबकि 762 लोगों ने आवेदन दिया था, लेकिन उसकी अपेक्षा पावती केवल 174 लोगों को यानी मात्र 23 फीसदी लोगों को ही मिली। जबकि 77 प्रतिशत लोगों को पावती नहीं मिली है। हम तालिका में देख सकते हैं कि छिंदवाड़ा, अशोकनगर व अलीराजपुर में क्रमशः

35,45 व 25 लोगों द्वारा आवेदन किये जाने के उपरांत भी उन्हें पावती नहीं दी गई। साथ ही अन्य जगहों पर भी सभी लोगों को पावती नहीं दी गई बल्कि कुछ ही लोगों को पावती मिली। पावती न मिलने का एक प्रमुख कारण यह भी सामने आ रहा है कि इससे लोगों को बेरोजगारी भत्ते मिलने की कानूनी प्रक्रिया को बल मिलता है, इसलिये इसे नहीं दिया जाता है। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ते का पैसा राज्य सरकार के खाते में से जाता है इसलिये भी पावती नहीं दी जाती है। पावती न होने से फिर लोगों की कानूनी हकदारी समाप्त हो जाती है।

काम का 15 दिनों में मिलना

मजदूरों द्वारा काम के आवेदन के 15 दिनों के बाद उन्हें काम मिलना अनिवार्य है, लेकिन न मिलने पर उन्हें बेरोजगारी भत्ते की पात्रता है। जमीनी स्थिति सामने यह आती है कि जिन लोगों ने आवेदन दिया उनमें से केवल 14 प्रतिशत से भी कम लोगों को आवेदन देने के बाद काम मिला जबकि प्रतिशत लोगों को आवेदन देने के बाद भी काम नहीं मिला। होशंगाबाद जिले के सोहागपुर विकासखंड के रेवामुहारी गांव में फरवरी 2009 से आवेदन देने के बाद भी जून 2009 तक लोगों को काम नहीं मिला है। काम न मिलने पर लोगों द्वारा बेरोजगारी भत्ते के लिये आवेदन दिया है। इसी के साथ-साथ हम तालिका में देखें तो हम पाते हैं कि अशोकनगर, अलीराजपुर, श्योपुर, अनुपपुर तथा बड़वानी में लोगों के पास पावती होने के बावजूद भी उन्हें 15 दिवस की समयावधि में काम नहीं दिया गया है, जहां पर काम मिला भी है वहां पर जितने लोगों ने आवेदन दिया था, उन सभी काम को नहीं मिला है।

काम मिला (762 व्यक्ति)	
मिला	नहीं मिला
105 (14 प्रतिशत)	657 (86 प्रतिशत)

बेरोजगारी भत्ता

आवेदन देने और काम न मिल पाने की स्थिति में मजदूरों को बेरोजगारी भत्ते की पात्रता है। यह बेरोजगारी भत्ता आवेदन देने के बाद 15 दिवस की अवधि समाप्त होने के बाद से आवेदन देने पर प्रथम एक माह तक न्यूनतम मजदूरी का एक चौथाई और उसके बाद न्यूनतम मजदूरी का आधा दिया जाता है। जिन लोगों ने काम के लिये आवेदन किया, उनमें से कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला तो जमीनी सच्चाई यह सामने आई कि महज 30 लोगों को ही बेरोजगारी भत्ता मिला। यह भत्ता भी बड़वानी जिले में मिला। बड़वानी जिले में कार्यरत संगठन ने यह बेरोजगारी भत्ता हासिल किया। इसके अलावा कहीं भी किसी भी जगह पर लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला।

बेरोजगारी भत्ता (762 व्यक्ति)	
मिला	नहीं मिला
30 (4 प्रतिशत)	732 (96 प्रतिशत)

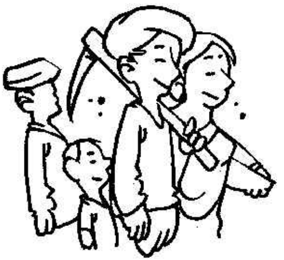

जमीनी तहकीकात

काम न मिलना

- जिला झाबुआ के पेटलावद तहसील के ग्राम पंचायत करडावद के ठिकरियां गांव के मंगलसिंह बताते हैं कि हमारे गांव में पिछले 2 सालों से रोजगार गांरटी का काम नही चला । हम अपनी पंचायत के दूसरे गांव में काम करने जाते तो ग्राम सचिव द्वारा हमें यह कहते हैं कि आपके गांव में ही काम खोलेंगे। इस माह गांव के 100 लोगों ने काम के लिये आवेदन किया था किन्तु हमें ग्राम सचिव द्वारा टाल दिया गया कि आपको रसीद अभी नही मिलेगी आप दो रोज बाद आना। पंचायत सचिव के पास हम दो रोज बाद गये तो वह कहता कि दो रोज बाद आना। हर बार ऐसा कह–कह कर एक माह निकाल दिया गया किन्तु हमें काम भी नहीं मिला व रसीद भी नही मिली।

  जिला झाबुआ की ग्राम पंचायत करडावद गांव सातरूण्डी के तेरसिंग भाई ने बताया कि रोजगार गांरटी के अर्न्तगत हमने पिछले माह 42 लोगों ने आवेदन किया था किन्तु हमारे आवेदन पंचायत कार्यालय में मंत्री ने स्वीकृत नही किये ओर कहा कि आवेदन की रसीद नहीं दूंगा। तेरसिंग भाई बताते है कि हमें अभी दो साल हो गये है हमें रोजगार गांरटी के अर्न्तगत काम नही मिला है हमने यह शिकायत तहसीलदार से भी की थी।

  तेरसिग भाई बताते है कि हमारे गांव सातरूण्डी के लोग पिछले दिनों रोजगार गांरटी के अर्न्तगत पास के गांव में काम करने गये थे किन्तु उस गांव के लोगों ने बताया कि यह जो काम रोजगार गांरटी के अर्न्तगत खुला है यह छोटा काम है और हम गांव के लोग ही इसे पूरा करेगें। आप लोग यहां मजदूरी मत करो।

- छतरपुर जिले के राजनगर विकासखण्ड की कोटा पंचायत के लखरावन गांव में लगभग एक वर्ष की अवधि में न के बराबर नये काम शुरू किये गये हैं। जबकि यहां के परिवारों को नरेगा के कामों की बेहद जरुरत है।

सिवनी के कुरई विकासखण्ड में चुनाव आचार संहिता का वास्ता देकर कोई नये कार्य नहीं खोले गये।

मंडला जिले के बिछिया विकासखण्ड के ग्राम लालपुर में सालभर से रोजगार गारंटी के काम नहीं हुए।

अनुपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विकास-खण्ड के चरकुमार, मझौली, धोधी, परसेल गांव में पिछले वर्ष ग्रेवल रोड बनी थी जो आज दिनांक तक अधूरी है।

जिला उमरिया के करकेली विकासखण्ड के ग्राम भनपुरा के हितग्राहियों के जॉब कार्ड मैट के पास रखे हुए हैं।

रीवा जिले के जवा विकासखंड़ के छदहना पंचायत के बिहरियाटोला गांव में कुल 35 परिवार हैं, इनके पास जॉबकार्ड तो है पर काम नहीं। गांव में जुलाई 2008 के बाद के अधिकतर लोगों को काम नहीं मिला है।

डिण्डोरी जिले में आदिवासी और वन क्षेत्र होने के कारण यहां वन विभाग की भूमिका बेहद महतवपूर्ण है पर आपको हम यह भी बताना चाहते हैं कि वन विभाग के पास जनवरी 2009 से मस्टररोल बुक नहीं पहुंची है और वन विभाग ने नरेगा के तहत पिछले 5-6 माहों से कोई काम नहीं करवाया है।

अलीराजपुर के सोण्डवा ब्लाक के गांव बड़ा-आम्बा में 32 लोगों ने 30 जनवरी 2008 को रोजगार के लिए आवेदन दिया (अवधि तक) परन्तु आज दिनांक तक उन्हें 16 फरवरी 2008 से 16 अप्रैल 2008 तक। काम नहीं दिया गया और न ही बेरोजगारी भत्ता दिया गया।

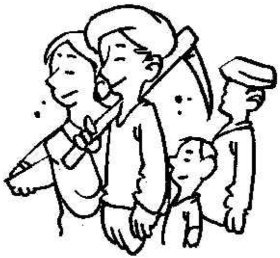

- छतरपुर जिले के राजनगर विकासखण्ड की कोटा पंचायत के लखरावन गांव में वृद्धों को उनकी क्षमता के मुताबिक काम नहीं दिया गया। ग्राम के ही ललिया और कन्हैया को यह कहकर कार्य स्थल से भगा दिया गया कि ''तुम बूढ़ों से यहां क्या काम होगा, तुम्हारे लिये कोई काम नहीं है''।
- जिला पन्ना के जनवार ग्राम, जो कि पन्ना पंचायत में है गांव के कुल परिवारों में से आधे से अधिक लोगों के जॉबकार्ड खाली हैं।

  जिला पन्ना में पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के ग्राम झाालर से वर्ष 2005 में लोगों को विस्थापित कर नवीनझालर में बसाया गया। विस्थापन के वक्त वन विभाग ने ग्राम वासियों को नवीन झालर में समस्त सुविधाएं मुहैया कराने का आश्वासन दिया था, जिसमें रोजगार के साधन भी शामिल थे। आज दिनांक तक नवीनझालर गांव को किसी भी पंचायत में शामिल नहीं किया गया है और जब पंचायत ही नहीं है तो पंचायत से मिलने वाले लाभ से भी नवीन झालर वासी पूरी तरह से वंचित हैं। मंगल सिंह, कंधी, विनोद यादव एवं अन्य ग्राम वासियों ने कहा कि आज तक न तो हमारे जॉब कार्ड ही बने हैं। और न ही रो.गा.यो. के तहत रोजगार मिला है।
- बड़वानी जिले के सेंधवा विकासखण्ड के रोजानीमाल पंचायत के मोहानी गांव में 2 माह पहले 50 लोगों ने आवेदन दिया था। 14 दिन के अंदर काम ना मिलने पर लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिये जनपद में आवेदन दिया परन्तु आज तक न तो उन्हे बेरोजगारी भत्ता मिला और ना ही काम।

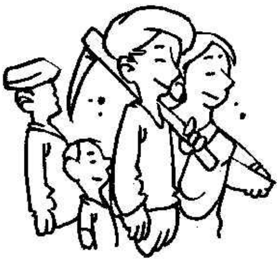

2

मजदूरी भुगतान

रोगायों में यह प्रावधान है कि काम मिलने के बाद 7 से 15 दिनों में मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाये। यदि किसी कारणवश मजूदरी के भुगतान में विलंब होता है तो फिर मजदूरों को मजदूरी मुआवजा अधिनियम 1936 के तहत् मुआवजा पाने की पात्रता। इसके अलावा रोगायो में एक और प्रावधान यह भी है कि सभी जनों को न्यूनतम मजदूरी मिलेगी, चाहे फिर काम टॉस्क रेट के हिसाब से हो या फिर पीस रेट के हिसाब से। इन्हीं सब मुद्दों पर हमने जानीं जमीनी स्थितियां। **(विस्तृत विश्लेषण तालिका के लिये देखें संलग्नक क्र.** 2)

भुगतान में विलंब

भुगतान में विलंब (7 से 15 दिनों में)	
हाँ	नहीं
2765 (100 प्रतिशत)	0 (0 प्रतिशत)

जैसा कि प्रावधानों में स्पष्ट है कि काम खत्म होने के या काम के चलते भी काम किये जाने के उपरांत 7 से 15 दिवस के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य है। जमीनी स्थिति जो कि 23 जिलों के 112 गांवों के 2765 व्यक्तियों से बातचीत के आधार पर यह उभरती है वह यह कि एक भी गांव में काम करने के 7 से 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। अर्थात् यहां पर समस्त गांवों में रोगायो के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। भुगतान में विलंब इसलिये भी होता है क्योंकि राज्य सरकार को 5 या 6 पंचायतों पर एक उपयंत्री की नियुक्ति करना थी लेकिन राज्य सरकार ने यह नियुक्ति अभी तक पूर्ण रूप से नहीं की है, जिससे अभी भी 20 से 22 पंचायतों पर एक उपयंत्री की नियुक्ति है। जिससे वह एक से डेढ़ माह के बीच में ही एक पंचायत पर मूल्यांकन के लिये उपलब्ध हो पाता है। इस मूल्यांकन के बाद फिर पूर्णता प्रमाण पत्र वगैरह में समय लग जाता है और लोगों की मजदूरी टलती जाती है।

6 माह में भुगतान

मजदूरी का भुगतान 6 माह में	
हाँ	नहीं
708 (25 प्रतिशत)	2057 (75 प्रतिशत)

रोगायो के प्रावधानों के मुताबिक मजूदरी का भुगतान वैसे तो 7 से 15 दिनों में होना है लेकिन उसके बाद भी लोगों को 6 माह तक मजदूरी का भुगतान नही होता है। 2765 लोगों में 708 मजदूर यानी 25 प्रतिशत् मजदूर ऐसे है जो यह कहते हैं कि उनके गावं में कई कामों में मजदूरी का भुगतान 6-6 माह तक नहीं हुआ। डिण्डौरी जिले के चपवार पंचायत के जाड़ासुरंग गांव में मजदूरों को 8 माह से भुगतान नहीं हुआ है। होशंगाबाद, बड़वानी, छतरपुर और इसी तरह कई जिलों में यही स्थिति है। इसके अलावा अध्ययन किये गये अन्य 23 जिलों में से प्रत्येक में कहीं न कहीं 6 माह में मजदूरी का भुगतान हुआ है।

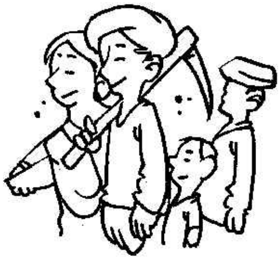

मजदूरी मुआवजा अधिनियम 1936

निर्धारित समयावधि में मजदूरी का भुगतान न होने की स्थिति में मजूदरों को मजदूरी मुआवजा अधिनियम, 1936 के तहत् मुआवजा पाने का हक है। यह मुआवजा दिनों के अनुसार हो सकता है। लेकिन जमीनी स्थिति यह बताती है कि किसी भी जगह पर मजदूरों को निर्धारित समयावधि में भुगतान न होने की स्थिति में भी मुआवजा नहीं दिया गया है। यह भी रोजगार गारंटी कानून के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रदेश में मजदूरी मुआवजा नहीं मिल सकता है, क्योंकि इसके लिये योजना लागू होने के तीन वर्षों बाद आज तक इसके नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किये गये हैं।

मजदूरी मुआवजा मिला	
हाँ	नहीं
0 (0 प्रतिशत)	2765 (100 प्रतिशत)

न्यूनतम मजूदरी

रोगायो में यह प्रावधान है कि मजदूर यदि टॉस्क रेट से काम करे या पीस रेट से काम करे, किसी भी सूरत में मजददूर को न्यूनतम मजूदरी से कम रकम नहीं मिलनी चाहिये। लेकिन प्रदेश में कहीं पर भी एसा नहीं किया जा रहा है और देखने में आ रहा है कि प्रदेश में **''जितना काम उतना दाम''** का जुमला प्रभावी है। अर्थात् प्रदेश में रोगायो के अंतर्गत् कराये जाने वाले हर एक काम का भौतिक मूल्यांकन होगा और उसके आधार पर ही उसका भुगतान किया जायेगा। इस स्थिति में दो विसंगतियां जन्म लेती हैं एक तो यह कि मूल्यांकन हुये बगैर भुगतान नहीं होता है दूसरा यह कि मूल्यांकन में फिर लोगों को 20 रूपये से लेकर 70 रूपये तक मजदूरी का भुगतान ही होता है। अभी हाल ही में डिण्डौरी जिले और बड़वानी जिले में लोगों को 20 रूपये तक की मजदूरी का ही भुगतान हुआ है। जिसके चलते मजूदर रोगायो में काम न करना पसंद कर पलायन करने को मजबूर हैं।

न्यूनतम मजदूरी मिली	
हाँ	नहीं
0 (0 प्रतिशत)	2765 (100 प्रतिशत)

जमीनी तहकीकात

भुगतान में विलम्ब एवं कम मजदूरी

डिण्डौरी

- डिण्डोरी जिले के समनापुर विकासखण्ड के जाड़ासुरंग पंचायत के अंतर्गत 51 मजदूरों ने 1 मार्च 2008 को लिखित आवेदन देकर काम की मांग की थी पर उन्हें 6 माह बाद 17 अगस्त 2008 को काम उपलब्ध कराया गया। उनका हक बनता है कि उन्हें बेरोजगारी

न मजदूरी, न खाते

सिवनी के बरघाट विकासखण्ड की आमागढ़ पंचायत के नानीकन्हार गांव में 6 माह से मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ और बहुत से परिवारों के खाते नहीं खोले गये हैं।

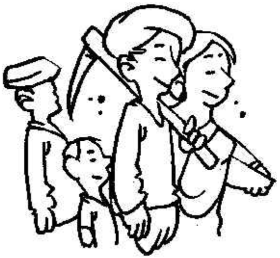

भत्ता मिले। इसके बाद इन मजदूरों ने तीन सप्ताह काम किया किन्तु उन्हें दो सप्ताह की मजदूरी लगभग सवा दो माह बाद 16 नवम्बर 2008 को मिली। इसमें से एक सप्ताह का भुगतान अब भी लम्बित है।

- समनापुर विकासखण्ड के अन्तर्गत साल्हेगोरी, बम्हनी, मोहती, साल्हेगांव, घाटा, हरसिंघरी पंचायतों की ओर से रूपये 695413.00 की मजदूरी के भुगतान के लिये समनापुर पोस्ट ऑफिस में चैक जमा किये गये परन्तु 2–4 माह गुजरने के बाद भी इस राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्रशासन ने नकद भुगतान तो बंद कर दिया परन्तु पोस्ट ऑफिस की प्रक्रिया बेहद कमजोर ढंग से चल रही है। हो सकता है कि प्रबंधकीय सूचना प्रणाली में यह व्यवस्था बेहतर ढंग से काम करती दिख रही हो किन्तु जमीनी स्तर पर मजदूरों की स्थिति विकट होती नजर आ रही है।

छतरपुर

- छतरपुर जिले के राजनगर विकासखण्ड की कोटा पंचायत के लखरावन गांव में रोजगार गारण्टी–योजना की विचार और मंशा ध्वस्त नजर आती है। यह महज एक नकारात्मक सोच नहीं है बल्कि नरेगा की जमीनी स्थिति से उपज रही नाउम्मीदी जरूर है। यहां भूरीबाई अहिरवार, कन्हैया अहिरवार, ईश्वर, कोसाबाई अहिरवार, रामकली अहिरवार समेत 15 मजदूरों ने वर्ष 2008 में पुलिया निर्माण के कार्यक्रम में 10 से 12 दिन की मजदूरी की थी। लगभग 1 वर्ष गुजरने की स्थिति में जमीनी अध्ययन से यह पता चला रहा है कि उनमें से किसी एक भी मजदूर की एक दिन की मजदूरी का भी भुगतान 20 मई 2009 तक की स्थिति में नहीं हुआ है।

उमरिया

- जिला उमरिया के करकेली विकासखण्ड के भनपुरा गांव के भगरती बैगा आदिवासी ने बताया कि अक्टूबर 2008 से दिसम्बर 2008 तक गांव में स्टापडेम, मेड़बंधान, कपिलधारा, रोड इत्यादि के काम हुये थे, जिसमें कि करीब 200 मजदूरों ने 4 माह तक रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम किया परन्तु आज 6 माह बीत जाने के बाद भी उन्हें उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया है। ग्राम के लोगों के खाते गांव से 2 किलोमीटर दूर कंचनपुर पोस्ट ऑफिस में खोले गये हैं। खाते खुलवाने के लिए ग्रामवासियों से 60–60 रूपये प्रति जॉबकार्ड लिया गया है। पोस्ट ऑफिस में सिर्फ 1 ही कर्मचारी है। जिस दिन 10 से ज्यादा मजदूर मजदूरी लेने पहुंचते हैं तो उन्हें कर्मचारियों की कमी के कारण मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाता है। पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर के अनुसार वह एक व्यक्ति को 1 दिन में सिर्फ 2000/– रूपये ही दे सकता है। ज्यादा मजदूरी होने पर हितग्राही को दोबारा आना पड़ता है।

- जिला उमरिया के करकेली विकासखण्ड के ग्राम भनपुरा में वर्ष 2007 में भनपुरा से टिकरिया तक एक पहुंच मार्ग बनाया गया था जिसमें जिन मजदूरों के कार्य किया था उनकी मजदूरी का भुगतान आज दो वर्ष बाद भी नहीं हुआ है।

- जिला उमरिया के करकेली विकासखण्ड के ग्राम महुरी के कमलू बैगा आदिवासी ने पिछले वर्ष दीवाली के आसपास 6 मेड़बंधानों में अपने बेटे एवं पत्नी के साथ 3 माह तक काम किया था, परन्तु आज तक उसे उसकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया।

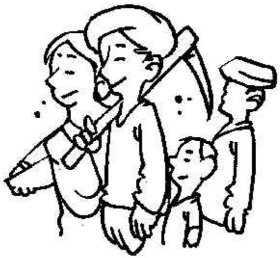

खण्डवा

- खण्डवा जिले के खालवा विकासखण्ड के ग्राम मोहालखारी में 12 मजदूरों ने 7 सप्ताह तक कपिलधारा के कुएँ में मार्च 2008 में काम किया था। परन्तु उन मजदूरों को केवल 4 सप्ताह की ही मजदूरी का भुगतान हुआ। शेष भुगतान आज भी बाकी है। जिनमें से दो मजदूरों के नाम इस प्रकार हैं – ग्यासीराम ओंकार और दाजू भाऊ।
- खण्डवा जिले के खालवा विकासखण्ड के ग्राम रोशनी में जनवरी 2009 माह में मजदूरों ने खंती खोदने का काम किया था परन्तु आज तक उन्हें उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ। सरपंच का कहना है कि उसे जनपद से ही राशि नहीं मिली है। जिन मजदूरों ने खंती खोदने का कार्य किया था उनमें से कुछ इस प्रकार हैं – रामदेव चंदन, राजाराम मराई, शिवरामबाबू, अमरसिंह, शोभाराम।
- खण्डवा जिले के खालवा विकासखण्ड के ग्राम मेढ़ापानी में 8 मजदूरों ने 45 दिन तक रोजगार गारण्टी के अंतर्गत काम किया था परन्तु उन्हें सिर्फ 12 दिन की मजदूरी का ही भुगतान किया गया।

श्योपुर

- श्योपुर जिले के विजयपुर विकासखण्ड में पालपुर–कूनो अभ्यारण्य के कारण 23 गांवों का विस्थापन किया गया था। विगत 12 वर्षो की लम्बी अवधि में इन गांवों में रहने वाले सहरिया आदिवासी परिवारों का जीवन अब तक व्यवस्थित नहीं हो पाया है। इसी विकासखण्ड के नयागांव पंचायत के ग्राम–नयागांव के श्यामबाबू ने फरवरी–मार्च 2009 की अवधि में रोजगार गारण्टी योजना के तहत तालाब निर्माण कार्य में 12 दिन की मजदूरी की थी परन्तु 3 माह गुजर जाने के बावजूद उन्हें अपने काम की राशि का भुगतान नहीं हो पाया है।
- श्योपुर जिले के विजयपुर विकासखण्ड के नयागांव पंचायत के ग्राम–नयागांव के श्याम बाबू अकेले नहीं हैं, बल्कि इसी कार्य के तहत 50 परिवारों ने मजदूरी की थी जिनमें से किसी भी मजदूर को मजदूरी की राशि नहीं मिली है। नयागांव की सरपंच कमला कुशवाहा कहती है कि अब तक बैंक खाते नहीं खुल पाने के कारण मजदूरी का

लीलती रही है भूख!

सतना के ग्राम किरहाई पोखरी, ग्राम पंचायत सिंहपुर, जनपद पंचायत मझगवां (सतना) में 9 से 15 फरवरी 09 के बीच सभी परिवारों के नये जॉब कार्ड बने, बैंक में खाता खुले किन्तु भुगतान अभी तक नहीं हुआ। कलेक्टर महोदय के कहने पर इन मजदूरों को फरवरी 09 से मार्च 09 के बीच पुनः पंचायत ने गांव के कुछ मजदूरों को कुआं निर्माण के काम में मजदूरी का काम दिया। इस काम में भी लोगों की स्थिति पूर्व की तरह हुई क्योंकि संतोष को 14 दिन के काम के बदले 439/- रूपये नकद व 70/- रूपये की ज्वार, कौशिल्या को 26 दिन काम के बदले 500/- रूपये नकद व 80/- रूपये की ज्वार, मिठाईलाल को 17 दिन काम के बदले 744/- रूपये नकद एवं रानी को 10 दिनों के काम के बदले 468/- रूपये मात्र नकद दिये गये। यही स्थिति अन्य बीसों मजदूरों की है। मझगवां जनपद पंचायत में लालपुर पड़री, चितहरा, हरदौहा, सेलहा, छनिहरा, बइदहा आदि दर्जनों गांव ऐसे भ्रष्टाचार व ठगी के शिकार हैं और अन्धेरगर्दी का आलम बरकरार है।

रीवा

रीवा जिले के जवा विकासखंड में लोगों से काम तो कराया जा रहा है लेकिन उन्हें प्रावधानों के अनुरूप मजूदरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसे में रोजगार गारंटी की मूल मंशा ही साकार नहीं हो पा रही हैं।

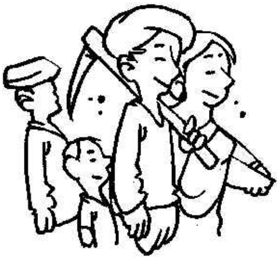

भुगतान नहीं हो रहा है। इन विस्थापित गांवों में रहने वाले परिवारों को पुनर्वास के नाम पर 9–9 बीघा जमीन दी गई है। यह जमीन पथरीली और अनुपजाऊ है। रिकार्ड में ये भूमिधारी हैं परन्तु व्यावहारिकता में भूमिहीन से कम नहीं हैं।

- श्योपुर जिले के विजयपुर विकासखण्ड की माधेपुरा गांव (टेरा पंचायत) में कपिलधारा योजना के अंतर्गत 6 कुंए खोदे गये थे। माह अप्रैल 2009 में जिसके अंतर्गत 12 मजदूरों ने 30 दिन काम किया था लेकिन आज तक उन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ।

झाबुआ

- जिला झाबुआ के पेटलावद तहसील के ग्राम पंचायत कालीघाटी के बाबूलाल भाई ने बताया कि जनवरी–फरवरी 2009 में ग्राम पंचायत कालीघाटी के गांव रूपापाडा में हमारे परिवार से दो व्यक्तियों ने रोजगार गांरटी के अर्न्तगत 18 दिन का काम किया था। जिसकी मजदूरी हमें मात्र 1000 रू दी गई। जबकि हमें मजदूरी दर 91 रूपये प्रतिरोज बताया गया था।
- जिला झाबुआ के पेटलावद तहसील के ग्राम पंचायत कालीघाटी के भंवर भाई ने बताया कि हमने हमारी पंचायत के गांव रूपापाडा मे तालाब निर्माण का कार्य रोजगार गांरटी के अर्न्तगत जनवरी – फरवरी 2009 में किया था जिसमें मैं स्वंय ओर मेरी माँ ने मिलकर कुल 18 दिन का काम किया था । किन्तु हमें मजदूरी 18 दिन की 800 रूपये ही मिली व हमारे जार्ब कार्ड पर अभी भी यह प्रवष्टियां नही की गई है।
- जिला झाबुआ के पेटलावद तहसील के ग्राम पंचायत कालीघाटी की चुनकी माँ ने बताया की मैं और मेरे बेटे ने मिलकर रूपापाडा तालाब पर 12 दिन रोजगार गांरटी के अर्न्तगत काम किया। हमें 91 रूपये प्रतिरोज की दर से काम पर लगाया गया था परन्तु हमें 12 दिन के सिर्फ 700 रू ही मजदूरी दी गई। अभी हमने लगभग 45 दिन पहले सार्वजनिक कूप निर्माण का कार्य किया किन्तु हमें अभी तक काम की मजदूरी नहीं मिली।

मंडला

मंडला जिले के बिछिया ब्लाक के बिछिया विकासखण्ड के ग्राम ब्लाकटोला पंचायत खलौड़ी में 3 माह से मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है।

सीधी

सीधी विकासखण्ड के ग्राम परमानी में में 3 माह से मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है।

अलीराजपुर

दिनांक 5 जनवरी को अलीराजपुर के सोण्डवा ब्लाक के अंजनवारा के 6 मई 2009 को आवेदन दिया गया सोण्डवा ब्लॉक में अधूरा काम मिला पर मजदूरी नहीं तथा शेष दिनों के लिए भत्ता भी नहीं दिया गया।

टीकमगढ़

टीकमगढ़ जिले के जतारा विकासखण्ड के गांव कदवा (पंचायत-कदवा) के 40 दलित आदिवासी मजदूरों ने मिट्टी के बांध के निर्माण में नवम्बर-दिसम्बर 08 में 15 से 20 दिन श्रम किया था परन्तु न तो अब तक उनके खाते खुल पायें हैं न ही उनकी मजदूरी का भुगतान हो पाया है।

अनुपपुर

पुष्पराजगढ़ विकासखण्ड में आरईएस द्वारा जो भी कार्य कराये गये हैं उसकी मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है।

- जिला झाबुआ के पेटलावद तहसील के ग्राम पंचायत कालीघाटी में कपिलधारा कूप निर्माण योजना के हितग्राही नन्दु भाई के कुऐं पर प्रभु व भूरा ने गहरीकरण व पत्थर निकालने के लिये गत वर्ष 2008 में 10–10 दिन काम किया था। किन्तु उस काम का भुगतान आज भी नहीं हो पाया है।

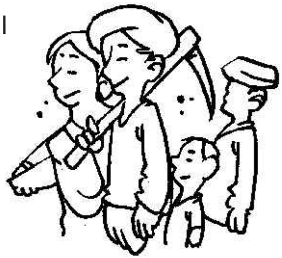

- जिला झाबुआ के पेटलावद तहसील के ग्राम पंचायत कालीघाटी के लालचन्द्र गामड व उसके साथ 5 परिवारों ने भागीरथ भाई के कुऐं पर 60 दिन काम किया किन्तु इन परिवारों का 5000 रूपया आज भी बकाया है। काम सत्यापित करने के लिये जार्ब कार्ड मांगे तो कहां कि हमारे जॉब कार्ड में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई।

- जिला झाबुआ के पेटलावद तहसील के ग्राम पंचायत कालीघाटी के गांव कास्याखाली में निस्तारी तालाब का काम रोजगार गांरटी के अर्न्तगत गतवर्ष मई–जून 2008 में किया गया। इस कार्य में कैलाश डामर व उनके परिवार के 3 सदस्यों ने 54 दिन काम किया जिसकी मजदूरी का भुगतान आज तक नहीं हुआ। कैलाश बताते हैं कि इस वर्ष धार जिले के गांव कानवन में मैं और मेरी पत्नि बधुवा मजदूरी का काम 1500–1500 रूपये माह में कर रहे है। हम अब इस रोजगार गांरटी में काम नहीं करेंगे क्योंकि हमें समय पर न तो काम मिल पाता है ओर न ही हमें काम की मजदूरी मिल पाती है।

- जिला झाबुआ के पेटलावद तहसील के ग्राम पंचायत कालीघाटी के गांव कास्याखाली के दित्ता गरवाल बताते हैं कि गतवर्ष मई–जून 2008 में हमारे परिवार के 4 लोगों ने कुल 60 दिन काम किया जिसका भुगतान हमें कुल 1200 रूपये किया गया। हमने बैक वालों से कहा कि इतना पैसा कम क्यों, तो हमें कहा गया कि आप सरपंच– मंत्री के पास जाकर बात करो। हमें इस काम के पीछे बहुत समय व्यर्थ करना पडता है जिससे कि हमारी उस दिन की मजदूरी भी चली जाती है ओर काम भी नहीं मिल पाता है। हम इस सरकारी काम में ही उलझे रहते हैं।

- जिला झाबुआ के पेटलावद तहसील के ग्राम पंचायत पांचपिपला के गांव भूरीधाटी में रोजगार गांरटी के अर्न्तगत काम की साईट गोया वाला नाका का 6 सप्ताह का काम चला। काम का मूल्यांकन व अन्य कारणों से मजदूरों को पूरा पैसा नहीं मिल पाया है। गांव मे बाबली वाला नाके पर काम हुआ किन्तु काम का पूरा पैसा नहीं मिल पाया। गांव में चार कुँए कपिल धारा के अर्न्तगत दिये थे जिनका पूरा पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है व कुँए को गहरीकरण करने में लगे मजदूर का भी पैसा नहीं मिल पाया है।

- जिला झाबुआ के पेटलावद तहसील के ग्राम पंचायत काजबी गांव लालारूण्डी में गांव के पंच रामा भाई बताते हैं कि गांव काजबी में गत वर्ष निस्तारी तालाब बनाया गया था जिसमें लालारूण्डी से जो लोग काम के लिये गये थे उनकी मजदूरी बाकी है। पिछले माह में खेन्दडी में 9 सप्ताह का काम किया था जिसमें पंचायत में 5 सप्ताह का ही भुगतान मिल पाया है बाकी भुगतान अभी भी नहीं मिल पाया है।

- जिला झाबुआ के पेटलावद तहसील के ग्राम पंचायत करडावद गांव सातरूण्डी के तेरसिंग भाई ने बताया कि मुझे रोजगार गांरटी के अर्न्तगत ग्राम पंचायत करडावद गांव सातरूण्डी में बनी अशोक वाटिका पर 1 जून 2007 से वाटिका में देखरेख के लिये पंचायत द्वारा लिखित में 1500 रूपये माह में नियुक्त गया। तेरसिंग सिगाड ने वहां पर 18 माह तक पौधों को पानी व देखरेख पर उसे मानदेय के रूप में 18 माह के मात्र 9000 रूपये दिये गये। जबकि तेरसिंग का कुल मानदेय 27000 रू बनते है। तेरसिंग ने वाटिका की देखरेख करना पिछले 2 माह से पंचायत के कहने पर छोड़ दिया है। आज उस वाटिका में पौधों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है।

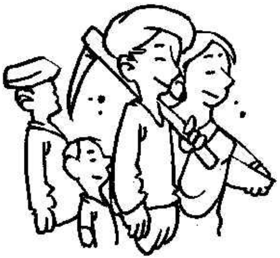

- जिला झाबुआ के पेटलावद तहसील के ग्राम पंचायत कालीघाटी के गांव काँचरोटिया के सजनबाई बताती है कि मैने कुण्डियां में 1 सप्ताह काम किया था। मुझे आज भी उसकी मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ।

पन्ना

- पन्ना जिले की अजयगढ़ पंचायत के सिंहपुर ग्राम में 25 लोगों ने रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत कार्य किया लेकिन उन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने लोक अदालत में याचिक आवेदन लगाया तब लोक अदालत ने इस केस को 15 दिन में हल करने का आदेश दिया। परन्तु आज तक मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ।
- पन्ना जिले की ग्राम भदैंया पंचायत अजयगढ़ में रोजगार गारंटी की मजदूरी के भुगतान को लेकर भ्रमपूर्ण स्थिति है। यहां पर 15 लोगों के पास आवेदन की पावती है पर उन्हें काम नहीं मिला। सरपंच/ सचिव/ द्वारा उनकी पावती में 15 दिन के बाद की तारीख लिखी गई है कि वह काम पर हाजिर हुये पर ग्राम पंचायत द्वारा उन्हें काम पर ही नहीं लगाया गया।
- पन्ना जिले की अजयगढ़ पंचायत के देवगांव कपिलधारा का कार्य पूर्ण होने पर उन्हें पैसा (मजदूरी) नहीं दिया गया।

होशंगाबाद

होशंगाबाद जिले के सिवनी-मालवा विकास खण्ड के समरदा पंचायत के आमपुरा गांव की भागवती बाई/अमरसिंह (जॉब कार्ड क्रमांक-5) ने फरवरी 2009 में 19 दिन काम किया था। उसका जॉब कार्ड मेट ने यह कहकर ले लिया था कि वह रोज उसमें हाजरी चढ़ायेगा। परन्तु जब भागवती बाई मार्च के महीने में उससे जॉब कार्ड लेने गई तब उसके जॉब कार्ड में मेट ने एक भी दिन की हाजरी नहीं चढ़ाई थी। और आज दिनांक तक भागवती बाई को अपनी मजदूरी के लिये चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

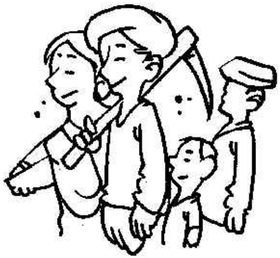

3

खातों का खुलना

रोगायो में विगत तीन वर्षों में मजूदरी के भुगतान के कई अलग- अलग तरीके सामने आये जैसे पहले पंचायतों के माध्यम से सीधे भुगतान किया जाता था। जिसमें यह बात उभरकर आई कि इस व्यवस्था में भ्र''टाचार बहुत होता है लेकिन इसके बाद जो नई व्यवस्था आई वह यह कि हर एक मजदूर का उसके गांव के नजदीक स्पीड पोस्ट ऑफिस/बैंक में जीरो बैलेंस पर खाता खोला जायेगा। इस व्यवस्था में ऐसा माना गया कि हर व्यक्ति के खाते में सीधे पैसा चला जायेगा, जिसमें भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। वैसे देखा जाये तो यह व्यवस्था तो आदर्श व्यवस्था हो सकती है लेकिन इस व्यवस्था की जमीनी हकीकत सामने आ रही है। **(विस्तृत विश्लेषण तालिका के लिये देखें संलग्नक क्र. 3)**

खातों का खुलना

बैंक/पो. ऑफिस में खाते खुले	
हाँ	**नहीं**
472 (17 प्रतिशत)	2293 (83 प्रतिशत)

अक्टूबर 2008 से यह व्यवस्था लागू हुई और जिसके चलते गांव के नजदीक ही मजदूरों के खाते खोले जाने के प्रावधान हैं, लेकिन मई 2009 में किये गये इस अध्ययन के आधार पर केवल 472 यानी 17 फीसदी लोगों के खाते खुल पाये हैं बाकी 2293 यानी 83 फीसदी लोगों के खाते नहीं खुल पाये हैं। इसके कारण कई हैं जैसे कि बैंकों/पोस्ट ऑफिसों की क्षमता न होना। बैंकों/पोस्ट ऑफिसों के पास पर्याप्त स्टॉफ की कमी होना। बैंकों/पोस्ट ऑफिसों की गांव से दूरी इत्यादि। लेकिन मजदूरों के खाते न खुलने से क्या रोगायो में उनके काम पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हां, यही विशेष बात है। लोगों के खाते नहीं खुलने के कारण उनको काम नहीं मिल रहा है।

होशंगाबाद जिले के सोहागपुर विकासखंड़ के रेवामुहारी गांव के लोगों ने 15 फरवरी 2009 को काम के लिये आवेदन दिया था लेकिन उसके बाद आज दिनांक तक उनको काम नहीं मिला है। विकासखंड़ के मुख्य कार्यक्रम अधिकारी के पास आवेदन देने पर उन्होंने कहा कि खाते खुलने पर ही काम दिया जाये और रेवामुहारी के लोगों के खाते खुलने में अभी दो से तीन माह और लगेंगे। ऐसी स्थिति में लोगों को काम नहीं मिल रहा है। साथ ही जिन लोगों ने काम कर चुके हैं, उनको खाते न खुलने के अभाव में मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा है।

हितग्राही द्वारा पैसे दिये जाना

हितग्राही द्वारा पैसे दिये जाना	
हाँ	**नहीं**
2765 (100 प्रतिशत)	0 (0 प्रतिशत)

जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि बैंकों में खाते निःशुल्क रूप से खुलना है, इसके लिये किसी भी व्यक्ति को कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई भी पैसा नहीं देना है। लेकिन जब हमने अध्ययन के दौरान 2765 व्यक्तियों से बातचीत की तो सभी

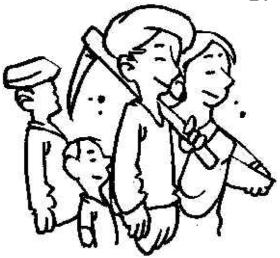

ने किसी न किसी स्तर पर पैसे देने की बात स्वीकार की, चाहे वो खाते खुलवाने के नाम पर, चाहे फिर पासबुक जारी करने के नाम पर या फिर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर । लेकिन सभी हितग्राहियों ने अलग–अलग तरीके से कहीं न कहीं पैसा अवश्य दिया है। यह राशि 10 रूपये से लेकर 60–100 रूपये के बीच तक भी है। यह देखा गया है कि जहां पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से या शहरी क्षत्रों में खाते खुलने हैं, वहां पर पैसे देने का प्रतिशत कम देखा गया है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रतिशत अधिक है। सभी जगहों पर हितग्राहियों को अपनी जेब तो ढ़ीली करनी पड़ रही है।

बैंक/पोस्ट ऑफिसों की स्थिति

बैंक /पोस्ट आफिसों की वर्तमान में स्थिति क्या है, क्या वे रोगायो के वर्तमान प्रारूप में प्रतिदिन लोगों को भुगतान करने के लिये तैयार हैं या नहीं। इसके मायने यह है कि क्या बैंको की वर्तमान क्षमता इस तरह से है कि वे मजदूरों को प्रतिदिन भुगतान कर सकें । स्टॉफ के मान से या फिर प्रतिदिन का अन्य काम छोड़कर और दूसरा काम करने के मान से आदि । इस सवाल के जवाब में लोगों ने यह बताया कि जब भी हम बैंक जाते हैं तो बैंक कर्मचारी हमसे कहते हैं कि बाद में आना। हमें मजदूरी के भुगतान के लिये 3–4 बार भी जाना पड़ता है। गांवों से बैंकों की दूरी 8–12 किमी तक है। पोस्टऑफिसों की भी क्षमता इतनी नहीं है कि वे एक साथ 15,000 से 20,000 रूपये नगद रख सकें। ऐसी स्थिति में पोस्टआफिस कर्मचारी को पैसा खत्म होने पर बड़े ड़ाकघर से पैसा लाना पड़ता है, उसके बाद ही भुगतान संभव है। ऐसी स्थिति में लोगों के अनुसार यह पोस्टऑफिस/बैंकों की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार तो यह दिक्कत वाली व्यवस्था है। इसके अलावा बैंकों के पास स्टॉफ की भी कमी है जिसके चलते बैंक समय पर लोगों की मजदूरी का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं।

बैंक/पोस्ट ऑफिसों की क्षमता	
हाँ	**नहीं**
2765 (100 प्रतिशत)	0 (0 प्रतिशत)

सुविधा पसंद / नापसंद

वर्तमान में लोगों को यह खाते वाली व्यवस्था बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है लेकिन ग्रामीणजन विकल्पहीन हैं। इस व्यवस्था से किसी गांव में जहां यदि लोगों के खाते खुल भी गये हैं तो भी यदि गांव के अन्य लोगों के खाते नहीं खुले हैं तो फिर जब तक गांव के समस्त लोगों के खाते नहीं खुलेंगे तब तक न तो लोगों को काम ही मिलेगा और न ही किये गये काम की मजदूरी का भुगतान। इसलिये 2494 यानी 90 प्रतिशत व्यक्ति यह कहते हैं कि उन्हें यह सुविधा पसंद नहीं आ रही है, जबकि केवल 271 व्यक्तियों यानी 10 प्रतिशत लोगों का ही कहना है कि उन्हें यह सुविधा पसंद आ रही है । ये 10 प्रतिशत लोग भी वे हैं जिनके कि गांव में ही पोस्टऑफिस या बैंक उपलब्ध हैं आदि।

सुविधा पसंद / नापसंद	
पसंद	**नापसंद**
271 (10 प्रतिशत)	2454 (90 प्रतिशत)

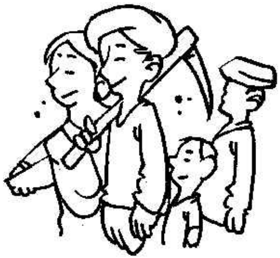

जमीनी तहकीकात

बैंक खाते न खुलना एवं विसंगतियां

- **जिला डिण्डौरी** के मोहगांव पंचायत (समनापुर) में 650 कार्डधारियों में केवल 264 परिवारों के ही खाते खुल पाये। समनापुर पोस्ट ऑफिस ने शेष खाते खोलने से इंकार कर दिया क्योंकि अब उनके प्रबंधन के पास खाते खोलने की क्षमता नहीं है।

- नरेगा के सम्बन्ध में हमने प्रशासनिक अमले और जमीनी अमले दोनों के साथ संवाद किया और इससे पता चला कि डिण्डोरी जैसे इलाकों में बैंक / डाकघरों के जरिये मजदूरी के भुगतान के लिये आदर्श व्यवस्था के बजाये व्यावहारिक व्यवस्था को प्राथमिकता देना होगी।

- समनापुर विकासखण्ड के 13 डाकघरों में केवल एक कर्मचारी और एक भृत्य की नियुक्ति है। और काम का बोझ इतना ज्यादा है कि उन्हें चैक इकट्ठे करके विकासखण्ड के डाकघर में जाना पड़ता है और फिर लगभग हर कार्यदिवस में भुगतान के लिये राशि निकलवाने पुनः विकासखण्ड पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, इससे मजदूरों को भुगतान में एक माह से ज्यादा की देरी हो रही है।

जिला छिंदवाड़ा के तामिया विकासखण्ड के देवलाखाड़ी गांव में परिवारों के सामूहिक खाते खुले हैं। यह खाते जिला सहकारी मर्यादित बैंक में खोले गये हैं। यदि लोगों को अपनी मजदूरी निकालनी होती है तो पूरे परिवार जिनका नाम जॉब कार्ड और पासबुक में है सभी को बैंक जाना पड़ता है और आहरण पर्ची पर सभी के दस्तखत होते हैं। एक व्यक्ति के दस्तखत से पैसा नहीं निकाला जाता।

छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखण्ड के चावरपानी गांव में मजदूरों को नरेगा के अंतर्गत खोले गये खाते में अन्य राशियों के लेनदेन से रोका जा रहा है।

छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखण्ड में कई जगह पोस्ट ऑफिस/ बैंक की खाते (पास बुक) पर जॉब कार्ड नम्बर नहीं है।

- यह भी पता चला कि व्यावसायिक नजरिये से बैंक एवं पोस्ट ऑफिस नरेगा की राशि की ज्यादा–से–ज्यादा दिनों तक खाते में बनाये रखने के जतन कर रहे हैं। शायद ऐसा करना उनकी मजबूरी भी है।

- **जिला छतरपुर** के बैंक/पोस्ट ऑफिस में खुलने वाले खातों के मामले में जबरदस्त भ्रम, विसंगति और भेदभाव की स्थिति नजर आ रही है। हमने छतरपुर जिले के राजनगर विकासखण्ड की कोटा पंचायत के लखरावन गांव के 56 परिवारों से चर्चा की जिन्हें 20 मई 2009 की स्थिति में यह जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी कि उनके बैंक खाते खुले हैं या नहीं। जब इस बारे में सचिव अरविंद सिंह से दूरभाष पर चर्चा हुई तो उनका कहना था कि ज्यादातर खाते खुल चुके हैं। और पूर्व में विधायक की मौजूदगी में हुये एक सम्मेलन में सबके अंगूठे के निशान लेकर खाते खुलवा दिये गये, इसके बारे में न तो गांव वालों को बताया गया न ही कभी भी इसके बाद कभी बैंक खातों पर चर्चा हुई। इन्हें 1 साल से अपनी मजदूरी नही मिली हैं।

राजनगर विकासखण्ड की कोटा पंचायत के लखरावन गांव के ग्रामीणों के खाते खोलकर उसमें

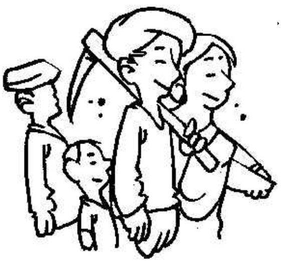

राशि जमा करा दी गई है किन्तु मध्यभारत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (करी) में दो-तीन मजदूर (जिन्हें पता चल गया कि उनके नरेगा बैंक खाते खुले हैं) गये तो वहां से उन्हें लगभग दुत्कार कर भगा दिया गया; ऐसा लगता है कि अभी न केवल व्यवस्था में सुधार पर काम करने की जरूरत है बल्कि अफसरान और कर्मचारियों के व्यवहार में भी मानवीय दृष्टिकोण लाने की पहल करने की जरूरत है।

- राजनगर विकासखण्ड की कोटा पंचायत के लखरावन गांव में मैट द्वारा बताया गया कि शायद बैंक ने हर पंचायत के लिये भुगतान के अलग-अलग दिन तय किये हैं; परन्तु उन दिनों की जानकारी बेहद गोपनीय रखी गई है और किसी को नहीं पता कि बैंक से वे कब अपनी मजदूरी की राशि ले सकेंगे। ले भी सकेंगे या नहीं।
- राजनगर विकासखण्ड की कोटा पंचायत के लखरावन गांव में यह भी पता चला कि डेढ़ माह तक (चैक जमा होने के बाद) पंचायत की राशि का समायोजन नहीं किया।
- राजनगर विकासखण्ड की कोटा पंचायत के लखरावन गांव में यह भी पता चला कि कई खाते खुल जाने के बावजूद पासबुक किसी भी ग्रामीण के पास नहीं है और बताया गया कि पासबुक बैंक में ही सुरक्षित रहेंगी।

अशोकनगर जिले के ईशागढ़ विकासखण्ड के बैगा गांव में जॉब कार्ड बनवाने के लिए सरपंच और सचिव ने 25 रूपये लिये थे। गांव में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके खाते अभी तक नहीं खुले। जिसमें से कुछ लोग इस प्रकार हैं - कमलाबाई, काशीराम, पुल्ला, सवारलाल आदि।

टीकमगढ़ जिले के जतारा विकासखण्ड के करमौरा के जिस बैंक (मध्यभारत ग्रामीण विकास बैंक) में करमौरा के मजदूरों के खाते खोले जा रहे हैं। वह बैंक गांव से 16 किलोमीटर दूर विकासखण्ड मुख्यालय जतारा में स्थापित है।

टीकमगढ़ जिले के जतारा विकासखण्ड के कदवा गांव के मजदूरों के खाते भी जतारा स्थित मध्यभारत ग्रामीण विकास बैंक में खुलना है जो गांव से 15 किलोमीटर दूर है।

भोपाल जिले के बैरसिया विकासखण्ड के हिनौतिया गांव में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके अभी खाते नहीं खुले। सरपंच का कहना है कि जो काम करेगा उसी के खाते खुलेंगे।

सीधी जिले के सीधी विकासखण्ड के माता, चौफाल, कतरीकाड़ी गांव में आज तक खाते नहीं खोले गये।

- **जिला सिवनी** के कुरई विकासखण्ड के बेलपेट पंचायत के अंतर्गत 8 गांव आते हैं। इन 8 गांव के परिवारों के ज्यादातर खाते बेलपेट में स्थित पोस्ट ऑफिस में खोले गये हैं। इस पोस्ट ऑफिस में नरेगा के भुगतान के लिए गांववार दिन तय किये गये हैं। गांव के मैट/ सचिव पोस्ट ऑफिस में लोगों की आहरण पर्ची भरते हैं, जिसमें कि वो लोगों से सिर्फ दस्तखत करवाते हैं। वह लोगों से कहते हैं कि "आप आहरण पर्ची पर राशि मत भरो क्योंकि यदि गलत हो जायेगा तो पैसा नहीं मिलेगा"। फिर वह अपने मनमाफिक राशि भरकर उनके खाते से पैसा निकाल लेते है। यहां तक कि जब कुरई विकासखण्ड के सिमरिया गांव की पार्वती बाई ने खाली आहरण पर्ची पर दस्तखत करने से मना कर दिया और कहा मैं खुद भरूंगी तब उसका अपमान किया गया।
- सिवनी जिले के कुरई विकासखण्ड के बेलपेट पंचायत के अंतर्गत मजदूरों की आहरण पर्ची भरने का भी 10 रूपये लेते हैं। अधिकांश लोगों की पासबुक पोस्ट ऑफिस में जमा है।

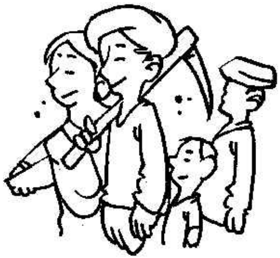

- सिवनी जिले के कुरई विकासखण्ड के बेलपेट पंचायत में मजदूरों की मजदूरी जैसे ही खाते में आती है सचिव/ मैट उनको सूचना देते हैं। पर यदि मजदूर तय तारीख के बाद जाता है, तो उसे पोस्ट ऑफिस वाले भगा देते हैं, और फिर कई दिनों तक उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं करते है।
- सिवनी जिले के कुरई विकासखण्ड के बेलपेट पंचायत में गांव वालों का कहना है कि पोस्ट ऑफिस वाले नकद बहुत कम रखते हैं, जिससे कि मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाता है।
- सिवनी जिले के कुरई विकासखण्ड के विजयपानी पंचायत से बैंक की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है इस कारण लोगों को वहां से पैसे निकालने में परेशानी होती है।
- सिवनी जिले के कुरई विकासखण्ड के थावरजोड़ी पंचायत के 50 परिवारों के खाते आज तक नहीं खुले।
- सिवनी जिले के कुरई विकासखण्ड के बेलपेट एवं विजयपानी पंचायत के पोस्ट ऑफिस में जिन लोगों के खाते बाद में खुले हैं उनसे 50 रूपये खाते खोलने के लिए गये हैं।
- कुरई विकासखण्ड के बेलपेट पंचायत में कई लोगों के जॉब कार्ड में इन्ट्री नहीं हुयी और उनकी पासबुक भी खाली है। कई मजदूरों को ये पता नहीं है कि उनकी कितने दिन की कितनी मजदूरी बनी। सरपंच और सचिव कहते हैं कि इसमें भरने से क्या फायदा होगा पासबुक में तो इन्ट्री हो जायेगी पर लोगों की पासबुक पोस्ट ऑफिस में रखी है।
- सिवनी जिले के सिवनी विकासखण्ड के कटि पंचायत में सोनेलाल परते का खाता खेलने के लिये भौमई बैंक में रूपये 300/- लिये गये। सोनेलाल परते की पत्नी सुहागा का खाता इसी बैंक में खोला गया परन्तु उसके भी 300/- लिये गये।

खण्डवा जिले के खालवा विकासखण्ड के ग्राम रोशनी में स्थित को-ऑपरेटिव बैंक में 22 पंचायतों के खाते खुले जिसमें से कुछ गांव ऐसे हैं जो कि 30 किलोमीर से भी दूर हैं और वहां से आवागमन के कोई साधन नहीं हैं। यदि भुगतान बाजार/ हाज के दिन होता है तो बैंक में बहुत भीड़ हो जाती है और भुगतान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बैंक में कम कर्मचारी हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बैंक में सुरक्षा की कमी की वजह से वो इतनी ज्यादा राशि बैंक में नहीं रखते है। वे खण्डवा के मुख्य कार्यालय में राशि रखते हैं और वहां से उन्हें यहां लाने में 7 घंटे से अधिक लगते हैं। ऐसा भी देखा गया है को-ऑपरेटिव बैंक को भुगतान के लिए जितनी राशि की जरूरत होती है उतनी हेडक्वार्टर से नहीं मिलती। उदाहरण के तौर पर यदि को-आपरेटिव को 30 लाख रूपये की मांग होती है तो हेडक्वार्टर वाले सिर्फ 20 लाख रूपये ही देते हैं। विकासखण्ड में यह देखा गया है कि कपिलधारा का भुगतान सही समय पर न होने की वजह से हितग्राही अपना सामान बेचकर या उधार लेकर लोगों को मजदूरी दे रहा है।

जिला उमरिया के करकेली विकासखण्ड के ग्राम भनपुरा में कुछ ग्रामीणों की पासबुक पोस्ट मास्टर के पास रखी हुई है।

जिला उमरिया के करकेली विकासखण्ड के ग्राम भनपुरा में कई बार पोस्ट मास्टर हितग्राहियों से आहरण पर्ची भरवाने के 10-15 रूपये तक लेते हैं।

जिला उमरिया के करकेली विकासखण्ड के ग्राम महुरी के ग्रामवासियों से पंच द्वारा प्रति पासबुक बनवाने के 15 रूपये और खाते खुलवाने के 20 रूपये लिये गए।

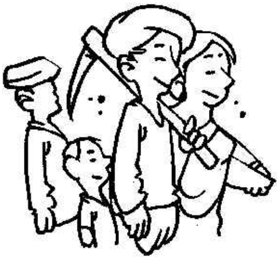

नई भुगतान प्रणाली ने छीना मेमबती का चैन

जैसे ही राज्य शासन ने मजदूरी के भुगतान के लिये खाते खोलने के निर्देश दिये तब सिवनी जिले के कुरई विकासखण्ड के जनावरखेड़ा गांव की मेमबती बाई को गांव से 2 किलोमीटर दूर पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर ने उसे खाता खोलने के विषय में जानकारी दी। पोस्ट मास्टर के द्वारा मेमबती बाई को कहा गया कि खाता 10 रूपये से खुलेगा। तब मेमबती बाई ने 10/– पोस्ट मास्टर को दे दिये। पर जब वो कुछ दिन बाद पासबुक लेने गई तो पोस्टमास्टर ने टाल–मटोल करके भगा दिया। एक माह बाद उस पोस्ट मास्टर ने मेमबती बाई को कहा कि तुमने जो 10 रूपये देकर खाता खुलवाया है उसका कोई मतलब नहीं है। अब शासन ने 100/– रूपये देकर खाते खुलवाने के निर्देश दिये हैं। तब मेमबती बाई ने पोस्ट मास्टर को 100 रूपये दे दिये और अपनी पासबुक ले ली।

इसी दौरान फरवरी–मार्च के माह में मेमबती बाई ने नरेगा के अंतर्गत तालाब में 42 दिन काम किया। काम के बाद जब वो अप्रैल 2009 में पासबुक लेकर मजदूरी लेने पोस्ट ऑफिस गई और पोस्ट मास्टर से कहा कि मेरी पासबुक में इन्ट्री करके पैसे दे दो, तब पोस्ट मास्टर ने उससे कहा कि ''तुम सरकार का पैसा हड़पना चाहती हो तुमने 2 पासबुक बनवाई है, और रही बात पैसे की तो वो तो तुम पुरानी पासबुक (10 रूपये वाली) से निकाल चुकी हो।'' इतना कहकर उन्होंने मेमबती बाई की आहरण पर्ची दिखा दी। पर जैसे ही मेमबती बाई ने पर्ची देखी तो उसमें अंगूठे के निशान थे। तब मेमबती बाई ने कहा मैं तो हस्ताक्षर करती हूं और मैंने ये अंगूठा नहीं लगाया और ना ही मैं इससे पहले कभी पैसे निकालने पोस्ट ऑफिस आई हूं।

मेमबती बाई ने यह सारी बात अपने पति को बताई। पति ने इस मुद्दे को लेकर कई बार सरपंच/सचिव से बात की परन्तु उन्होंने कहा कि हमने तो मजदूरी के विषय में बैंक को बता दिया था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है।

जब उसका पति और मेमबती बाई ने पोस्ट मास्टर से बात की तब उसने एफआईआर (FIR) करने की धमकी दी और उसे अपशब्द कहे। इस पूरे मामले को लेकर गांव में फिर बैठक की गई पर तब गांव के लोगों ने उसे (FIR) करने की सलाह दी। मेमबती बाई कुरई थाने में (FIR) करने गई पर उसकी (FIR) न लिखकर शिकायत दर्ज कर ली। इतनी सब कार्यवाही के बाद आज तक मेमबती बाई को मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ।

- **शिवपुरी जिले** के पोहरी विकासखण्ड में यह व्यवस्था बना दी गई है कि मजदूर अपने खाते में से अपनी ही मजदूरी की राशि तभी निकाल सकेगा जब वह आहरण पर्ची (विथड्राल स्लिप) पर पंचायत सचिव के हस्ताक्षर करवाकर लायेगा। निश्चित रूप से आप इस व्यवस्था का मतलब भलि–भाँति समझ सकते हैं। पोहरी विकासखण्ड की परासरी पंचायत के रामकिशोर से स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के खाते से राशि निकालने के लिये बैंक ने पंचायत के सचिव उमेश सिंह यादव से आहरण पर्ची पर हस्ताक्षर करवा कर लाने को कहा और इस हस्ताक्षर के बदले सचिव ने आधी राशि 1000/– (एक हजार रूपये) की मांग की।

- शिवपुरी जिले के पिछोर विकासखण्ड के बमना पंचायत के बमना गांव के मोहन (पुत्र हरवहन), अशोक (पुत्र– गोविन्द), देवकी (पुत्र–गम्मा), अच्छेलाल (पुत्र–खूबी), सहित सभी परिवारों के खाते पिछोर विकासखण्ड मुख्यालय पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में खोले गये हैं। इस बैंक से खाता धारक तभी राशि का आहरण कर सकते हैं जब वे अपने पंचायत की सचिव रूकमणी शर्मा से आहरण पर्ची पर हस्ताक्षर (स्वीकृति के संकेत) करवा कर लायें। बिना पंचायत सचिव के हस्ताक्षर के मजदूर अपने हक की राशि का आहरण अपने ही खाते से नहीं कर सकते हैं। खाता धारक बताते हैं कि इन हस्ताक्षरों के लिये उन्हें 30 से 50 रूपये का भुगतान हर बार करना पड़ता है।

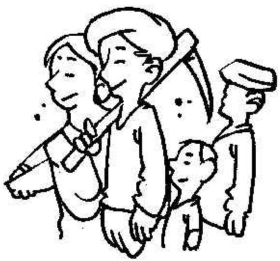

- **अनुपपुर जिले** के पुष्पराजगढ़ विकासखण्ड में रोजगार गारंटी के अंतर्गत खाते खुलवाने में लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि कंप्यूटर में यदि नाम इत्यादि की गलत इन्ट्री हो जाती है तो हितग्राही से पूछताछ करने के लिए बार–बार बैंक बुलाते हैं।

- अनुपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विकासखण्ड में रोजगार गारंटी के अधिकांश खाते बैंक में खोले गये हैं। बैंक की दूरी अधिक होने पर लोगों को परेशानी हो रही है। उदाहरण के तौर पर तुलरा ग्राम पंचायत के समीप एक सेन्ट्रल बैंक है जिसमें कि 15–16 पंचायतों के खाते खोले गये है।। उस बैंक की दूरी कई गांवों से 10–15 किलोमीटर तक की है। जैसे कि जतारा गांव बैंक से 15 किमी दूर है। बैंक में सिर्फ 2 कर्मचारी हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी तालाब में यदि 200 से 300 लोगों ने काम किया है तो उनमें से एक दिन में केवल 15 से 20 लोगों को ही भुगतान हो पाता है। इस वजह से गांव में कुछ को मजदूरी मिलने और कुछ को न मिलने से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

- अनुपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विकासखण्ड में खाते परिवार के मुखिया के नाम से खोले गये है। यदि किसी कारणवश मुखिया पैसा निकलने में असमर्थ है तो बैंक वाले उस परिवार के वयस्क लोगों को पैसा नहीं देते हैं।

- **होशंगाबाद जिले** के सोहागपुर ब्लाक के छोटा डूड़ा में दिसंबर 2008 में 40 व्यक्तियों के खाते भारतीय स्टेट बैंक सोहागपुर में खोले गये परन्तु उनकी पासबुक आज तक उन्हें नहीं दी गई।

- होशंगाबाद जिले के सोहागपुर विकासखण्ड के रेवामुहारी गांव में रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 30 व्यक्तियों ने जनवरी 2009 को सचिव को आवेदन देने गये। सचिव द्वारा उनसे न ही आवेदन लिया गया और न उन्हें पावती दी गई। साथ ही यह कहा गया कि बैंक में खाता नहीं खुला है इस वजह से आपको काम नहीं मिलेगा। इस मुद्दे को लेकर ग्रामवासी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास गये। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने लोगों को आवेदन की पावती तो दे दी पर उसमें यह लिख दिया कि इन्हें खाता खुलने के बाद काम दिया जाये। ग्रामवासी जब सचिव के पास गये तो उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना मार्च चल रहा है इसलिये खाते नहीं खुलेंगे। कुछ दिन बाद सचिव फिर ग्रामवासियों के पास गया और कहा कि सौ रूपये में खाते खुल रहे हैं। आप लोग पैसा इकट्ठा करके मुझे दे दीजिये। ग्रमवासियों ने एसा ही किया सबने मिलकर 100/– इकट्ठा किये और ग्राम के 5 लेाग पैसा लेकर सचिव के पास सोहागपुर पहुंचे। ग्राम का सचिव सोहागपुर में रहता है पर उस दिन सचिव लोगों को नहीं मिला। लेाग दोबारा सचिव के पास गये परन्तु पंचायत का खाता उस बैंक में न होने की वजह से लोगों को फिर वापस आना पड़ा। इसके बाद आज दिनांक तक केवल 4 लोगों के ही खाते खुल पाये बाकी अभी भी शेष हैं।

- होशंगाबाद जिले के सोहागपुर विकासखण्ड के चीचली ग्राम में 35 लोगों से सौ–सौ रूपये खाते खुलवाने के लिए, लिये गये।

- होशंगाबाद जिले के सोहागपुर विकासखण्ड में नरेगा के अंतर्गत परिवार के मुख्यिा के नाम से ही खाते खोले गये हैं यदि काम परिवार के किसी और सदस्य ने किया है तो मजदूरी लेने बैंक में मुखिया को स्वयं जाना पड़ता है नहीं तो उन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं होता।

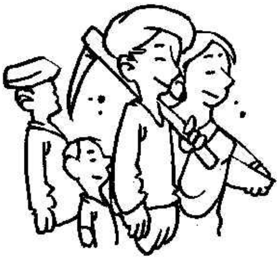

- होशंगाबाद जिले के सोहागपुर ग्रामीण विकासखण्ड के माथा, भटगांव, रेवामुहारी के लोगों के खाते सोहागपुर क्षेत्रीय ग्राम बैंक सोहागपुर में खोले गये जिसकी दूरी गांव से 25 से 28 किलोमीटर है। लोगों को मजदूरी लेने के लिए बस से जाना पड़ता है। जिसका एक तरफ का किराया 30/- रूपये तक लगता है।
- होशंगाबाद जिले के सोहागपुर ब्लॉक की नयाखेड़ा पंचायत के बड़ाडूंड़ा गांव के 35 आदिवासी परिवारों के सामने एक नया संकट आ खड़ा है। इन समस्त आदिवासी परिवारों के बैंक खाते तो अक्टूबर 2008 में ही खुल गये थे? लेकिन आज तक उन्हें पासबुक नहीं मिली हैं। इस पासबुक के ना मिलने के चलते इन लोगों को अक्टूबर के बाद से लगातार आवेदन देने के बाद भी काम नहीं मिला है। कन्हैयालाल उईके ने तो सीईओ जनपद को भी आवेदन दिया तो उन्होंने लिख दिया कि पासबुक मिलने पर काम दिया जाये।
- होशंगाबाद जिले के सोहागपुर ब्लॉक के चीचली गांव के 40 परिवारों के बार-बार सोहागपुर बैंक जाने पर भी आज तक खाते नहीं खुले हैं। गांव वालों के बार-बार व लगातार आने पर बैंक ऑफिसर नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि जब तक ना बुलाये तब तक मत आना।
- **बड़वानी जिले** के सेंधवा विकासखण्ड के हिंगुवा पंचायत में रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत लोगों के खाते सबसे पहले को-ऑपरेटिव में खोलने की बात कही गई थी परन्तु को-ऑपरेटिव का कोटा पूरा होने के बाद बैंक ऑफ इंडिया बलवाड़ी में खाते खोले जा रहे हैं। जिसका उनसे रूपये 500/- लिये जा रहे हैं।
- बड़वानी जिले के सेंधवा ब्लाक के धावादी और खुदवादी पंचायत के मजदूरों की पासबुक सचिव के पास रखी हुई है।
- बड़वानी जिले के सेंधवा ब्लाक के ग्राम तकियापानी के मजदूरों के खाते ग्राम से 20 किलोमीटर दूर बलवाड़ी में खोले गये हैं, जहां पैसा निकालने के लिये रूपये 20/- लगते हैं।

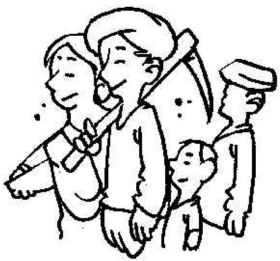

4

कपिलधारा योजना

रोगायो में कई अलग-अलग योजनाओं को सम्मिलत किया गया है। इन योजनाओं में से एक योजना है कपिलधारा। कपिलधारा योजना में अजा/अजजा के उस व्यक्ति के खेत में कुंआ बनाया जा सकता है, जिसके पास 2.5 हेक्टेयर भूमि हो। ऐसी स्थिति में ही उस हितग्राही को इस योजना का लाभ मिल सकता है। कपिलधारा के कुयें बनने के साथ-साथ प्रत्येक कुयें के साथ रीचार्ज संरचना बनाई जाना आवश्यक है। जिससे यह होगा कि न केवल कुंये बनेंगे बल्कि पुर्नभरण संरचनाओं के बनाने से पानी भी जमीन में जायेगा। इस कुयें के निर्माण में घर के समस्त लोग भी काम कर सकते हैं या आस-पास के लोग भी काम कर सकते हैं, लेकिन इस कुयें के बनने में सारा खर्च पंचायत को वहन करना होता है। हितग्राही से इसमें कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। **(विस्तृत विश्लेषण तालिका के लिये देखें संलग्नक क्र. 4)**

पुर्नभरण संरचनाओं का बनना

जैसा कि कपिलधारा में स्पष्ट है कि प्रत्येक कुयें के साथ पुर्नभरण संरचनायें (रीचार्ज स्ट्रक्चर) बनाना आवश्यक हैं लेकिन जब हम जमीनी स्थिति को देखते हैं तो हम पाते हैं कि कुल जमा 25 लोग ही बताते हैं कि हां, पुर्नभरण सरंचनायें बनी हैं। जबकि 2750 लोगों का कहना है कि कहीं कोई पुर्नभरण संरचनायें नहीं बनी हैं। गांव वाले यह भी कहते हैं कि उन्हें यह बताया ही नहीं गया है कि कपिलधारा योजना में किसी भी तरह की पुर्नभरण संरचनायें बननी हैं। अर्थात् वे पूर्ण रूप से योजना के प्रावधानों से अनभिज्ञ हैं।

पुर्नभरण संरचनाऐं बनीं	
हाँ	नहीं
25 (0.9 प्रतिशत)	2740 (99.1 प्रतिशत)

समस्त कुंओं का निर्माण कार्य पूर्ण

अभी देखा यह जा रहा है कि कपिलधारा योजना के अंर्तगत् गांवों में कपिलधारा के अधिकतर कुंओं को निर्माण या तो अधूरा है, या फिर कुंयें आधे बन कर ही खिसल गये हैं । जब गांवों में मजदूरों से इस तरह की बातचीत की गई तो यह सामने आया कि 90 गांवों यानी 80 प्रतिशत् गांवों में अधिकांश कुंओं का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। जबकि 22 गांव यानी 20 प्रतिशत् गांव के लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। कुयें को पूर्ण कहे जाने में एक और दिक्कत यह भी है कि जब तक किसी भी कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र (सी.सी.) जारी नहीं किया जाता है तब तक वह काम पूर्ण नहीं माना जा सकता है। अतः कई जगहों पर यह भी हो रहा है कि काम तो पूर्ण हो गया है लेकिन काम का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है जिससे काम अपूर्ण ही कहला रहा है। और जिसके चलते लोगों को उनकी मजदूरी का

कुओं का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ	
हाँ	नहीं
22 (20 प्रतिशत)	90 (80 प्रतिशत)

भुगतान भी नहीं हुआ है। इसके अलावा जो कुंयें आधे ही रहे और उनमें लगातार काम न हो पाने की स्थिति में वे फिर खिसल गये। यानी कि कपिलधारा योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो तो पूरा ही नहीं हो पा रहा है।

हितग्राही द्वारा पैसा दिया जाना

कपिलधारा योजना में हितग्राही को न तो पैसा मिलना है और न ही उसे पैसा लगाना है। कपिलधारा योजना में प्रावधानुसार उसके चयन के बाद उसे जगह ही बतानी है। इसके बाद उस जगह पर कुऐं के निर्माण कार्य के लिये आवश्यक राशि की व्यवस्था पंचायत द्वारा की जानी है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि अधिकांश जगहों पर राशि की व्यवस्था स्वयं हितग्राही द्वारा की गई है। 89 प्रतिशत यानी 2459 लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने खेतों में कुयें बनने के लिये स्वयं राशि दी है या फिर हितग्राही द्वारा राशि दिये जाने को वे स्वीकार करते हैं। महज 281 यानी 11 प्रतिशत लोग ही यह कहते हैं कि राशि नहीं दी गई है। होशंगाबाद, डिण्डौरी आदि जिलों में तो यह भी देखने में आया है कि लोगों ने कर्ज ले-लेकर भी यह राशि चुकाई है और उन्हें पंचायत की ओर से अभी तक कोई भी राशि नहीं मिली है।

हितग्राही द्वारा स्वयं की ओर से पैसे दिया जाना	
हाँ	नहीं
2459 (89 प्रतिशत)	281 (11 प्रतिशत)

मजदूरी का भुगतान

कपिलधारा योजनांर्तगत् लोगों को 6 माह बाद तक भी मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। केवल उमरिया, बड़वानी और अशोकनगर जिलों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर मजदूरी का भुगतान बिल्कुल नगण्य है। डिण्डौरी जिले के चपवार गांव में मजदूरों को 1 वर्ष से कपिलधारा योजनांर्तगत् बने कुओं की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। इसी प्रकार से अन्य जिलों में भी यही खस्ताहाल हैं। 23 जिलों की स्थिति देखें तो 657 यानी महज 24 प्रतिशत् व्यक्ति ही यह कहते हैं कि या तो उन्हें या फिर उनके गांव में लोगों को कपिलधारा योजना के अंर्तगत् लोगों को मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। यह रोगायो के प्रावधानों का उल्लंघन है।

6 माह में मजदूरी का भुगतान हुआ	
हाँ	नहीं
657 (24 प्रतिशत)	2108 (76 प्रतिशत)

जमीनी तहकीकात

कपिलधारा उपयोजना

छतरपुर

- राजनगर विकासखण्ड की कोटा पंचायत के लखरावन गांव में सार्वजनिक कुंआ निर्माण सहित कुल 13 कुएं स्वीकृत हुये, उन पर काम हुआ पर 10 माह गुजरने के बाद भी ये कुयें (कपिलधारा के

अंतर्गत) अधूरे पड़े हुये हैं और अब लखरावन गांव के मजदूर नरेगा के तहत काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि उस कार्यक्रम में मजदूरी करवा ली जाती है किन्तु मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है और धोखाधड़ी की जाती है।

- राजनगर विकासखण्ड की कोटा पंचायत के लखरावन गांव में कपिलधारा के तहत जिन मजदूरों ने श्रम किया उन्हें भी मजदूरी नहीं मिली। शांतिबाई नामक महिला ने हरदास के यहां बन रहे कपिलधारा के कुयें के निर्माण में 45 मानव दिवस का श्रम किया। मई 2008 से मई 2009 की स्थिति आ गई है परन्तु मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ।
- राजनगर विकासखण्ड की कोटा पंचायत के लखरावन गांव में हरदास और तांतिया नामक कपिलधारा हितग्राहियों को मजदूरी देने और सामग्री लाने में क्रमशः 13500 और 15400 रुपये व्यक्तिगत स्तर पर खर्च करने पड़े।
- राजनगर विकासखण्ड की कोटा पंचायत के लखरावन गांव में कपिलधारा उपयोजना के तहत नारायणदास अनुरागी ने मार्च-अप्रैल 2008 की अवधि में 43 दिन मजदूरी की परन्तु अब तक भुगतान नहीं हुआ।

डिण्डौरी

समनापुर विकासखण्ड में इस योजना की अवधि में 700 से ज्यादा कुयें कपिलधारा के अन्तर्गत निर्मित किये गये है किन्तु पुर्नभरण संरचनायें (रीचार्ज स्ट्रक्चर्स) केवल 5 से 7 प्रतिशत मामलों में ही बन पाई हैं। इस स्थिति में कुओं का निर्माण पर्यावरण और भूजल की व्यवस्था पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालेगा।

रीवा

''लोकल जॉब कार्ड है''

रीवा जिले के जवा विकासखंड़ की कोनी पंचायत में जिन लोगों को जॉब कार्ड मिले है वे जब काम करने के बाद उस जॉब कार्ड पर नर्सरी में किये गये दो माह की मजदूरी की रकम लेने गये तो वन विभाग के मुंशी ने कहा कि यह ''लोकल है'', और इसके द्वारा बैंक से भुगतान नहीं हो सकता। उसने यह भी कहा कि जॉब कार्ड में सुधार करवाने ओर उसमें बड़े अधिकारी की सील लगवाने के लिए पुनः 200 रूपये जमा करवाने पड़ेंगे अन्यथा मजदूरी की रकम नहीं मिल पाएंगी। ज्ञात हो कि ग्रामीण जनता को यह नहीं पता है कि कौन सा जॉब कार्ड लोकल है और कौन सा नहीं! उन्होंने तो काम किया है और वे अपने काम की मजदूरी चाह रहे हैं।

सिवनी

- कुरई विकासखण्ड के विजयपानी और सागर पंचायत में 18 कपिलधारा के कूप स्वीकृत हुये थे। जिसमें से 9 कूप अपूर्ण है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सभी स्वीकृत 18 कूपों की पूर्णता रिर्पोट जारी हो चुकी है। बाकी के 9 कुएं अब गड्ढे के रूप में तब्दील हो गये हैं।
- कुरई विकासखण्ड के विजयपानी और सागर पंचायत में 9 कुओं की गहराई 12 से 15 फीट तक की है जबकि प्रस्ताव के अनुसार उन्हें 30 फीट खोदा जाना था पर उसमें तर्क यह दिया जा रहा है कि पत्थर आ गया है और ब्लास्टिंग करनी पड़ेगी और इसकी राशि स्वयं हितग्राही को वहन करनी पड़ेगी। ब्लास्टिंग की लागत 5 से 10 हजार रूपये के बीच में होती है।
- कुरई विकासखण्ड के विजयपानी और सागर पंचायत में इसी पंचायत में लोगों के अनुसार यदि कूप में ब्लास्टिंग करनी होती है तो उसके पैसे स्वयं हितग्राही को देना होता है।

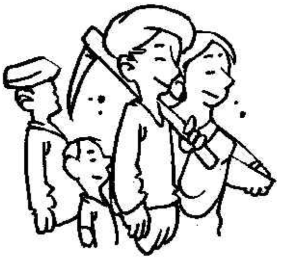

- कुरई विकासखण्ड के विजयपानी और सागर पंचायत के चैनसिंह के नाम से कपिलधारा/ कूप स्वीकृत हुआ था। जिसकी गहरायी 30 फीट तक होनी थी, परन्तु कुयें को 20 फीट तक ही खोद कर उसकी पूर्णता रिर्पोट जारी कर दी गयी। कुयें में एक बार ब्लास्टिंग भी हुयी जिसका करीब 3 से 4 हजार रूपये हितग्राही को देना पड़ा।

सतना

जी तोड़ किया काम, नहीं मिला अब तक दाम

ग्राम किरहाई पोखरी, ग्राम पंचायत सिंहपुर, जनपद पंचायत मझगवां (सतना) में पेयजल हेतु वर्ष 2007-08 में एक सार्वजनिक कुआं निर्माण का काम पंचायत द्वारा शुरु करवाया गया, जो आज भी अधूरा है। इस कुआं खुदाई के काम में गांव के 25 मजदूरों (फूलकली, तुलसा, ऊषा, श्यामवती, उर्मिला, गौरा, कुसमा, रामनरेश, शिवप्रसाद आदि) ने कुल मिलाकर 503 दिन काम किया, जिसके बदले 25 मजदूरों को अब तक कुल मिलाकर सिर्फ रूपये 3480/- का भुगतान किया गया है। 36 परिवारों के जाब कार्ड पंचायत के सरपंच व सचिव अपने पास शुरूआत से ही रखे थे।

उल्लेखनीय है कि गत वर्ष 2008-09 में इस गांव में 0-6 वर्ष तक के 6 बच्चे भूख और कुपोषण से खत्म भी हो गये थे। ग्रामीणों ने मजदूरी प्राप्त हेतु लगातार पंचायत सरपंच, सचिव, सीईओ जनपद पंचायत व जिला पंचायत, जिला कलेक्टर आदि को अपनी समस्या लिखित व मौखिक बताई पर समाधान नहीं मिला।

दिनांक 10 फरवरी 09 को कुपोषण से बच्चों की मृत्यु के मामले पर भारत सरकार के बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा श्रीमती शांता सिंहा व टीम के साथ जिला कलेक्टर, सीईओ, एसडीएम, तहसीलदार, सीएमओ आदि अधिकारी इस गांव में चौपाल लगाकर गामीणों से चर्चा की तो उक्त मजदूरी भुगतान का मामला प्रमुखता से निकला। आयोग की अध्यक्षा व अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में जिला कलेक्टर, सतना ने 10 दिनों के भीतर अधीनस्थ अधिकारियों को आदेशित कर शत-प्रतिशत मजदूरी भुगतान का आदेश देकर लोगों को सार्वजनिक रूप से आश्वस्त किया।

- सतना जिले के उचेहरा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत पिथौराबाद में वर्ष 2008-09 में कपिलधारा योजना के अंतर्गत श्याम बिहारी, समना आदिवासी, गोविन्द कुशवाहा ने लगभग 30 दिन काम किया था पर उन्हें आज तक मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ।

शिवपुरी

- शिवपुरी जिले के पिपरोनिया गांव (पंचायत-दुलई, विकासखण्ड-पिछोर) के चुन्नी आदिवासी सहित 10 आदिवासी परिवारों के लिये नरेगा के तहत कपिल धारा कुओं के निर्माण की स्वीकृति अप्रैल 2008 में दी गई थी। इनमें से प्रत्येक की लागत 1.02 लाख रूपये तय की गई थी और इसी आधार पर तकनीकी स्वीकृति जारी हुई थी।

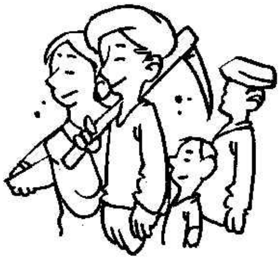

एक वर्ष गुजर जाने के बावजूद इन 10 स्वीकृत कपिलधारा कुंओं में से एक का भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। बस यही जवाब है कि प्रक्रिया चल रही है!

- शिवपुरी जिले के पिछोर विकासखण्ड की बड़ेरा पंचायत के बड़ेरा गांव के लच्छू आदिवासी और बिशना आदिवासी को वर्ष 2007 में कपिलधारा उपयोजना के तहत कुयें स्वीकृत कर 35-35 हजार रूपये की राशि जारी कर दी गई। इससे लच्छू और बिशना ने अपने कुयें 10-10 हाथ की गहराई तक खोद लिये और ब्लास्टिंग भी करवाई। परन्तु इसी दौरान जनपद कार्यालय में बाबू और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विवाद में इन दोनों हितग्राहियों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी के खिलाफ बयान देने के लिये मजबूर किया जाने लगा। गलत आरोप लगाने से मना करने पर लच्छू और बिशना के कुंओं का गलत मूल्यांकन किया गया और 35 हजार रूपये की दूसरी किश्त जारी करने से इंकार कर दिया गया। इस प्रकरण में प्रशासन ने बेहद असंवेदनशील भूमिका का निर्वहन किया और दोनों सहरिया आदिवासियों के कुंये अब तक अधूरे ही पड़े हैं।

गुना

गुना जिले के गुना विकासखण्ड के डांड गांव में 1 साल पहले 4 कपिलधारा के कूप स्वीकृत हुये थे। जिनके कूप स्वीकृत हुये थे उनके नाम (मांजी, हरवंश, लालजी, धनसइयाँ आदि) जो आज तक नहीं बने हैं।

गुना जिले के गुना विकासखण्ड के गडला गिर्द गांव में पिछले वर्ष 34 कूप स्वीकृत हुये थे। इनमें 3 कूप आज दिनांक तक पूर्ण हो जाये हैं बाकी 31 अभी तक शेष है। इन कुओं में जिन लोगों ने भी मजदूरी की उनका आजतक भुगतान नहीं हुआ है।

धार

- धार जिले के गंधवानी ब्लॉक में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत् शुरू की गयी कपिलधारा योजना के शुरूआत में कूप हेतु स्वीकृत राशि में से कुछ राशि हितग्राही को दे दी जाती थी और उससे कहा जाता था कि आप अपना कुंआ खोदें।

- धार जिले के गंधवानी विकासखण्ड के वोरघाटा ग्राम के अनसिंह/ओंकार सिंह का कूप निर्माण 2007 में शुरू हुआ था। कूप केवल 12 हाथ ही खुदा एवं आज दिनांक तक वह अपूर्ण है। इस कूप के लिए हितग्राही को मात्र 6000/- छह हजार रूपये ही दिये गये। कूप में जिन मजदूरों ने मजदूरी की थी उनकी मजदूरी का भुगतान आज भी शेष है क्योंकि हितग्राही को केवल रूपये 6000/- (छह हजार) ही दिये गये थे।

- धार जिले के गंधवानी विकासखण्ड के वोरघाटा ग्राम के छतर सिंह/ शेर सिंह का कूप निर्माण वर्ष 2007 को हुआ था। जो आज तक की स्थिति में

बडवानी

बड़वानी जिले के सेंधवा विकासखण्ड के धवादा, खुदवाडी, अदनादी, खोखरी, हिनगुवा पंचायत में पिछले वर्ष कपिलधारा योजना के अंतर्गत कूप खोदे गये थे परन्तु आज तक जिन मजदूरों ने काम किया था उन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ। इसके साथ ही उसमें आधे से ज्यादा कुएं अधूरे पड़े हैं। जिन कूंओं में कपिलधारा का काम हुआ था उनमें से कुछ हितग्राहियों को तो अपने पास से मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करना पड़ा। जिसमें से धावादी पंचायत के मानसिंह ने कुछ मजदूरों की मजदूरी का भुगतान अपने घर की चांदी बेचकर किया है। इस प्रकार हिंगुवा गांव के बड़कू भाई ने 7800/- (रूपये सात हजार) और खुदवादी गांव के मोहन परिहार ने रूपये 6000/- (रूपये छह हजार) अपने पास से मजदूरों को दिये।

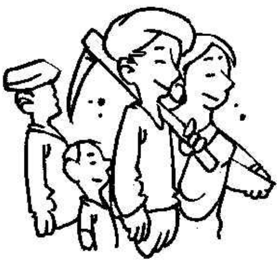

अपूर्ण है। कूप की गहराई लगभग 9 हाथ ही हुई थी। कूप के लिए हितग्राही को रूपये 16000/– (सोलह हजार) दिये गये थे। जिसकी वजह से मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया।

- धार जिले के गंधवानी विकासखण्ड के वोरघाटा ग्राम के भरमा सिंह/आमसिंह का कूप निर्माण (हितग्राही TS/AS क्रमांक 1095 दिनांक 7.6.2007 खसरा क्रमांक 75/1,75/2) भी 2007 में ही शुरू हुआ था जो कि आज भी अपूर्ण है। कूप 11 हाथ खुदा जिसके लिए हितग्राही को केवल रूपये 4700/– (चार हजार सात सौ) दिये गये। जिस वजह से मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ। मजदूरों की मजदूरी करने के लिए भरमा सिंह अपने पास से रूपये 20000/– (बीस हजार) लगा चुका है। जिसका भुगतान उन्हें आज तक नहीं हुआ।
- धार जिले के गंधवानी विकासखण्ड के वोरघाटा ग्राम के भुरला/ दलसिंह/मानसिंह/छगन/नानसिंह/ रामसिंह/ सुखराम/ ज्ञानसिंह के कूप निर्माण हुये थे, परन्तु उनके कूप में जिन मजदूरों ने काम किया है उनकी मजदूरी आज तक शेष है। (नानसिह / रामसिह – हितग्राही TS/AS क्रमांक 1101 दिनांक 7.6.2007 खसरा क्रमांक 69/3/1,83/1/1/1 भुरला /दलसिंह– TS/AS क्रमांक 1125 दिनांक 30.3.2007 खसरा क्रमांक 34/3)
- धार जिले के गंधवानी विकासखण्ड के वैकल्या ग्राम के भीमा/वेरसिह का कूप निर्माण 11/5/08 में शुरू हुआ था। कूप केवल 12 हाथ ही खुदा एवं आज दिनांक तक वह अपूर्ण है। कूप में जिन मजदूरों ने मजदूरी की थी उनकी मजदूरी का भुगतान स्वयं हितग्राही को करना पडा जिसका पैसा आज तक उसे नहीं दिया गया। (हितग्राही TS/AS क्रमांक 808 दिनांक 28.11.2007 खसरा क्रमांक 69/2,73)
- धार जिले के गंधवानी विकासखण्ड के वैकल्या ग्राम के सतीश इलीया का कूप निर्माण 2007 में शुरू हुआ था। कूप केवल 8 हाथ ही खुदा एवं आज दिनांक तक वह अपूर्ण है। इस कूप के लिए हितग्राही को मात्र 14000/– ही दिये गये। कूप में जिन मजदूरों ने मजदूरी की थी उनकी मजदूरी का भुगतान स्वयं हितग्राही को करना पडा जिसका पैसा आज तक उसे नहीं दिया गया।
- धार जिले के गंधवानी विकासखण्ड के वैकल्या ग्राम के रमेश/बाला का कूप निर्माण मई 2007 में शुरू हुआ था। कूप केवल 8 हाथ ही खुदा एवं आज दिनांक तक वह अपूर्ण है। इस कूप के लिए हितग्राही को मात्र 14000/– ही दिये गये। कूप

मंडला

मण्डला जिले के मवई विकासखण्ड की सकवा पंचायत के सकवा ग्राम में कपिलधारा योजना के तहत व्यक्तिगत 25 कुएं स्वीकृत हुये थे परन्तु वास्तव में केवल 20 कुएं ही बने 5 कुंओ के पैसे निकाल लिये गये। इसी प्रकार 10 सार्वजनिक कुंओं में से केवल 8 ही बने शेष 2 के पैसे निकाल लिये गये।

अनूपपुर

अनुपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विकासखण्ड में कपिलधारा योजना के अंतर्गत वर्ष 2008 में बारिश के पहले खोदे गये कुंओं में से अधिकांश कुऐं अपूर्ण स्थिति में हैं। उनमें से कई कुएं ढह चुके हैं।

सीधी

सीधी जिले के सीधी विकासखण्ड के ग्राम परमानी में जनवरी 2008 में कपिलधारा योजना के अंतर्गत राजकरण सिंह ने नाम से कूप निर्माण हुआ था परन्तु आज तक इसके अंतर्गत हुए काम का भुगतान नहीं हुआ।

सीधी जिले के सीधी विकासखण्ड के अमहा गांव के लक्ष्मण सिंह का कूप नवम्बर 2008 में बना था परन्तु आज तक इसका भुगतान नहीं हुआ है।

में जिन मजदूरों ने मजदूरी की थी उनकी मजदूरी का भुगतान स्वयं हितग्राही को करना पडा जिसका पैसा आज तक उसे नहीं दिया गया।

- धार जिले के गंधवानी विकासखण्ड के वैकल्या ग्राम के कालू / नान सिह का कूप निर्माण मई 2007 में शुरू हुआ था। कूप केवल 16 हाथ ही खुदा एवं आज दिनांक तक वह अपूर्ण है। इस कूप के लिए हितग्राही को मात्र 12000/– ही दिये गये। कूप में जिन मजदूरों ने मजदूरी की थी उनकी मजदूरी का भुगतान स्वयं हितग्राही को करना पडा जिसका पैसा आज तक उसे नहीं दिया गया।
- धार जिले के गंधवानी विकासखण्ड के वैकल्या ग्राम के चिमनीया / इलिया का कूप निर्माण मई 2007 में शुरू हुआ था। कूप केवल 13 हाथ ही खुदा एवं आज दिनांक तक वह अपूर्ण है। इस कूप के लिए हितग्राही को मात्र 12000/– ही दिये गये। कूप में जिन मजदूरों ने मजदूरी की थी उनकी मजदूरी का भुगतान स्वयं हितग्राही को करना पडा जिसका पैसा आज तक उसे नहीं दिया गया। (हितग्राही TS/AS क्रमांक 798 दिनांक 3.5.2007 खसरा क्रमांक 167/4)
- धार जिले के गंधवानी विकासखण्ड के वैकल्या ग्राम के नहरसिह/मुतरीया का कूप निर्माण मई 2007 में शुरू हुआ था। कूप केवल 28 हाथ ही खुदा एवं आज दिनांक तक वह अपूर्ण है। कूप में जिन मजदूरों ने मजदूरी की थी उनकी मजदूरी का भुगतान स्वयं हितग्राही को करना पडा जिसका पैसा आज तक उसे नहीं दिया गया।
- धार जिले के गंधवानी विकासखण्ड के वैकल्या ग्राम के राम सिह/मुतरीया का कूप निर्माण मई 2007 में शुरू हुआ था। कूप केवल 15 हाथ ही खुदा एवं आज दिनांक तक वह अपूर्ण है। कूप में जिन मजदूरों ने मजदूरी की थी उनकी मजदूरी का भुगतान स्वयं हितग्राही को करना पड़ा जिसका पैसा आज तक उसे नहीं दिया गया।
- धार जिले के गंधवानी विकासखण्ड के वैकल्या ग्राम के चेसिह / ओंकार का कूप निर्माण मई 2007 में शुरू हुआ था। कूप केवल 18 हाथ ही खुदा एवं आज दिनांक तक वह अपूर्ण है। इस कूप के लिए हितग्राही को मात्र 5500/– ही दिये गये। कूप में जिन मजदूरों ने मजदूरी की थी उनकी मजदूरी का भुगतान स्वयं हितग्राही को करना पड़ा जिसका पैसा आज तक उसे नहीं दिया गया।
- धार जिले के गंधवानी विकासखण्ड के रायपुरिया ग्राम की लाली बाई/नुरला का कूप निर्माण मई 2007 में शुरू हुआ था। कूप केवल 7 हाथ ही खुदा एवं आज दिनांक तक वह अपूर्ण है। इस कूप के लिए हितग्राही को मात्र 5000/– ही दिये गये। कूप में जिन मजदूरों ने मजदूरी की थी उनकी मजदूरी का भुगतान स्वयं हितग्राही को करना पडा जिसका पैसा आज तक उसे नहीं दिया गया। (हितग्राही TS/AS क्रमांक 907 दिनांक 3.5.2007 खसरा क्रमांक 332/1/5)

332/1/5 धार जिले के गंधवानी विकासखण्ड के मोहनपुरा ग्राम की निर्भय सिह / छगान का कूप निर्माण वर्ष 2007 में शुरू हुआ था एवं आज दिनांक तक वह अपूर्ण है। कूप में जिन मजदूरों ने मजदूरी की थी उनकी मजदूरी का भुगतान आज तक नही हुआ। (हितग्राही TS/AS क्रमांक 1059 दिनांक 5.6.2007 खसरा क्रमांक 56/2)

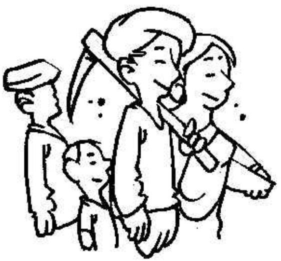

झाबुआ

- जिला झाबुआ के पेटलावद तहसील के ग्राम पंचायत कालीघाटी में शाला की बाऊंडरी वाल के पास एक सार्वजनिक कूप निर्माण रोजगार गांरटी के अर्न्तगत किया गया, जिसमें 15-17 मजदूरों ने काम किया। किन्तु कार्य के 45 दिन हो जाने के बाद भी मजदूरों का भुगतान नहीं हो पाया हैं। कालीघाटी के निवासी बाबुलाल का कहना है कि मैंने व मेरी पत्नी दोनों ने मिलकर 18-18 दिन का काम किया किन्तु अभी तक हमें कार्य की मजदूरी का भुगतान नही हो पाया।
- जिला झाबुआ के पेटलावद तहसील के ग्राम पंचायत काजबी गांव लालारूण्डी में रोजगार गांरटी के अर्न्तगत कपिलधारा कूप निर्माण के अर्न्तगत 7 कुंऐ दिये गये किन्तु गत वर्ष से अभी तक उनका पूरा पैसा नही मिल पाया है। इसके अलावा 7 कुओं को गहरीकरण के लिये जो व्यक्ति काम के लिये लगाये गये थे उनका पैसा भी बाकी है।
- जिला झाबुआ के पेटलावद तहसील के ग्राम पंचायत कालीघाटी के काचरोटिया में गत वर्ष 2008 में सार्वजनिक कुएं का निर्माण किया गया था जिसमें पूरे गांव के लोगों ने मिलकर 6-6 दिन का काम किया था किन्तु गत वर्ष का पेमेन्ट अभी भी नहीं मिला।

टीकमगढ़

- बुंदेलखण्ड अंचल के टीकमगढ़ जिले के जतारा विकासखण्ड में बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते नहीं खुलने के कारण मजदूरों को बेहद गंभीर स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इस विकासखण्ड के करमोरा गांव (पंचायत- करमोरा) के 30 दलित और आदिवासी मजदूरों ने अगस्त-सितम्बर 2008 में कपिलधारा कार्यक्रम के तहत 14 कुंओं के निर्माण में श्रम किया था। इन तीस मजदूरों की 10 से 15 दिन की मजदूरी का भुगतान 9 माह गुजरने के बाद भी नहीं किया जा सका है।
- टीकमगढ़ जिले के जतारा विकासखण्ड के करमौरा गांव में 14 कपिलधारा कुओं में से 9 कुयें 10 माह गुजर जाने के बार भी अधूरे पड़े हुये हैं।
- टीकमगढ़ जिले के जतारा विकासखण्ड के कदवा गांव में कपिलधारा के दो कुयें बनने शुरू हुये परन्तु अब तक दोनों कुओं का निर्माण पूरा नहीं हो पाया, और इन्हें बांधा नहीं गया है।

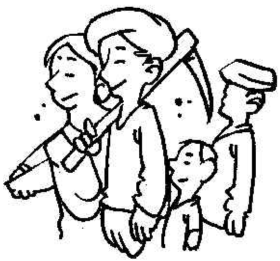

5

कुछ अन्य व्यापक सवाल

सामाजिक अंकेक्षण

सिवनी

- कुरई विकासखण्ड में कुल 62 पंचायत है जिसमें किसी भी पंचायत में विधिवत सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया नहीं चली। जिस संस्था (वैशाली) को यह निविदा (टेंडर) दिया गया है वह स्वच्छता अभियान में जिला प्रशासन द्वारा पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है।
- गांव के लोगों के अनुसार संस्था द्वारा सामाजिक अंकेक्षण हेतु एक फार्म सरपंच/सचिव से भरवाकर जनपद में दे दिया जाता है। लोगों को पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है।
- www.nrega.nic.in (12-5-09) के अनुसार सिवनी जिले की 645 पंचायत में से केवल 21 पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण हुआ है।

सीधी

- सीधी जिले के सीधी विकासखण्ड में एक भी पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया नहीं हुई। जिस संस्था को इसका टेण्डर दिया गया है वो सरपंच और सचिव को अपने पास बुला कर इसकी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। ग्रामसभा में इसकी कोई प्रक्रिया नहीं चलाई जाती।

अलीराजपुर

- अलीराजपुर के सोण्डवा ब्लाक में ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी कानून के तहत कराये गये कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण होना अति आवश्यक है। ककराना, झण्डाणा, चमेली, सुगट, भानछोवड़ी,

डिण्डौरी

डिण्डोरी जिले के समनापुर विकासखण्ड में किसी भी स्तर पर तीन वर्षों में सामाजिक अंकेक्षण की सोच और प्रक्रिया क्रियान्वित होती नहीं दिख रही है।

मण्डला

मण्डला जिले के मवई विकासखण्ड में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया कहीं भी नहीं चली।

उमरिया

जिला उमरिया के करकेली विकासखण्ड के ग्राम भनपुरा में सामाजिक अंकेक्षण की कभी–भी कोई भी प्रक्रिया नहीं चली है।

होशंगाबाद

होशंगाबाद जिले के सोहागपुर ब्लाक में किसी भी पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया नहीं चली, लोगों का कहना है कि नरेगा में क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता।

बड़वानी

बड़वानी जिले के सेंधवा ब्लॉक में किसी भी तरह की सामाजिक सर्वेक्षण की प्रक्रिया नहीं चलाई गई।

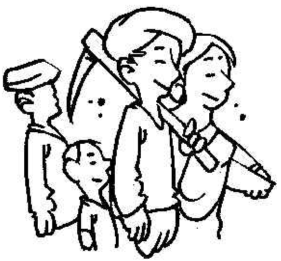

खाम्बा, भीताड़ा, नदी सिरखेड़ी, अंजनवारा, सकरजा, खुन्दी, मथवाड़, वाकनेर, खोडाम्बा, डूबखेड़ा, बड़ा आम्बा, काकड़सेलर जलसिंधी, चिलकदा, आकाडीया, आदि गांवों का होना चाहिए। ताकि हितग्राहियों को शासकीय योजना का लाभ मिल सके और सरकारी खजाने की लूट को रोका जा सके।

सामाजिक बहिष्कार

छतरपुर

- राजनगर विकासखण्ड की कोटा पंचायत के लखरावन गांव में मजदूर भेदभाव और बहिष्कृत व्यवहार के भी शिकार हुये हैं। हरदीना ने साढ़े आठ बजे काम शुरू करने के बाद डेढ़ बजे भोजन के लिये समय मांगा था, तब सरपंच एवं सचिव ने यह कहकर कि तुम्हे बहुत भूख लगती है, काम से चले जाने को कहा गया और फिर इसके बाद उसे कभी काम पर नहीं रखा गया।

भोपाल

भोपाल जिले के बैरसिया विकासखण्ड के हिनौतिया ग्राम में एकल एवं विधवा महिलाओं को रोजगार गारंटी के अंतर्गत काम नहीं दिया जा रहा है। गांव की भगवती बाई अहिरवार द्वारा बताया गया कि सरपंच और सचिव उनसे कहते हैं कि पहले अपने साथ किसी पुरूष को लेकर आओ फिर काम देंगे।

ना हर हाथ को काम, ना काम का पूरा दाम

छतरपुर जिले के राजनगर विकासखण्ड के ग्राम परा में अगर आप ग्रामवासियों, खासकर हरिजन बस्ती का जीवन स्तर देखेंगें तो वो दिल दहला देने वाला है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम का क्रियान्वयन यहां पर कितना और किस तरह हो रहा है, इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि ग्रामवासियों को रोजगार ही नहीं मिलता। सरपंच के करीबी लोगों को ही रोजगार का अवसर प्राप्त होता है । अन्य व्यक्तियों को कार्य का अवसर देना तो दूर बल्कि उन्हें भगा दिया जाता है। ग्राम पंचायत में संपर्क करने पर यह कहकर मना कर दिया जाता है कि जाओ यहां कोई काम नहीं है। हरिजन बस्ती के आशाराम पिता सुक्का चमार, पंजीयन क्रमांक 338 यह देखकर समझ नहीं पाया कि जब वह ग्वालियर में था तो उसके जॉब कार्ड में कार्य दिवस व उसका भुगतान कैसे अंकित कर दिया गया है ?

इसी प्रकार पूरन पिता सुक्का चमार ग्वालियर में मजदूरी कर रहा था जब उसके जॉब कार्ड में कार्य व भुगतान की एंट्री की गई। सुक्का चमार ने बताया कि एक-एक साल तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है। सरपंच अपने गृहकार्य में लगा लेता है। सुक्का के दोनों बेटे पलायन कर चुके हैं। पूरन ने बताया कि कार्य सरपंच के खास आदमी को ही दिया जाता है। हस्ताक्षर सभी से करवा लिया जाता है व कार्ड में उपस्थिति दर्शा दी जाती है। जॉब कार्ड 100 से 200 रूपये लेकर बनाये जाते हैं।

रोजगार नहीं मिलने से गांव के लोगों का व्यापक स्तर पर पलायन पंजाब, दिल्ली की तरफ हो रहा है। राधे ने बताया कि व्यक्ति से न तो आवेदन लिया जा रहा है न ही पावती दी जा रही है।

परा में कपिलधारा योजना के अंतर्गत 9 कुंओं का निर्माण हुआ। जिन लोगों ने 10,000 से 20,000 तक रूपये दिए उनके कुओं का कार्य पूर्ण कर दिया गया, बाकी सभी अधूरे हैं। कपिलधारा के तहत मत्थी नामक महिला के कुएं का कार्य 3 साल से रूका हुआ है। मत्थी हरिजन बस्ती में रहती है वह पैसे देने में पूरी तरह से असमर्थ है।

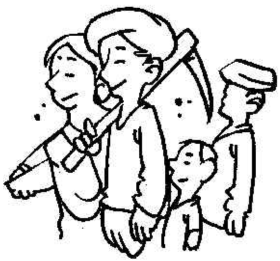

कार्य सिर्फ कागजों पर दर्शाया जा रहा है, कार्य का मूल्यांकन कब, कहां, कैसे होता है यह किसी को पता नहीं चलता। निगरानी समिति है भी तो सिर्फ कागजों पर, सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी भी किसी को नहीं है।

बेवा चिरइया ने बताया कि न तो उसका आवेदन स्वीकार किया गया न काम मिला, न ही मुआवजा दिया गया। उसकी स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसे पति की मृत्यु हुए 10 साल हो चुके हैं और घर चलाने वाला उसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। गांव के धनी परिवार व किसान जिनके पास ट्रेक्टर व खेती है ही वे ही सिर्फ इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

होशंगाबाद

- होशंगाबाद जिले के सोहागपुर विकासखण्ड में नरेगा के अंतर्गत महिलाओं की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनसे कहा जाता है कि अपने साथ या तो कोई पुरूष लाओ या फिर खुद कुंआ/खंती खोदो। इस वजह से एकल महिलाओं/ विधवा महिलाओं को बहुत परेशानी हो रही है और वे काम पर नहीं जा रही हैं।
- होशंगाबाद जिले के सिवनी-मालवा विकासखण्ड के धिकवाड़ा गांव में हल्की बाई/ अंतराम अहिरवार को दिसंबर 2008 में कार्यस्थल में 9 माह से गर्भवती महिला काम कर रही थी और उसी दौरान उसे प्रसव पीड़ा हुई जब उसे अस्पताल ले जाया गया तब उसका प्रसव हुआ।

सिवनी

कुरई विकासखण्ड के थावरजोड़ी पंचायत में वे मजदूर जो कि खंती खोदने का काम कर रहे हैं, उनकी खंती यदि आधे दिन में भी पूर्ण हो जाती है तो सचिव/मैट उन्हे घर जाने नहीं देते और कार्यस्थल में मौजूद रहने के लिए मजबूर करते हैं। इस वजह से उनका कहना है यदि तुम चले जाओगे और अचानक कोई जांच करने वाला आ गया तो हम किसे बतायेंगे कि कितने मजदूरों ने ये काम किया है। इस वजह से महिलाओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं।

फर्जी सूचनायें दर्ज करना

सतना

- सतना जिले के उचेहरा जनपद पंचायत के पिथौराबाद ग्राम पंचायत अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 एवं वित्तीय वर्ष 2007-08 में जाब कार्डधारियों को एक वर्ष में समना आदिवासी को पांच सौ बीस 520 दिन का काम देना बताया जा रहा है जबकि प्रबंधन सूचना प्रणाली की फीडिंग आवेदक के जाब कार्ड की प्रविष्टियों से काफी असमानता है। इसी प्रकार लल्ला प्रसाद आदिवासी को वर्ष में 441 दिन का काम देना बताया जा रहा है। जबकि जाब कार्ड की प्रविष्टियों में ऐसा नहीं है।
- सतना जिले के उचेहरा विकासखण्ड के पिथौराबाद, लोहरापुरा, पिथौरा, मातरी पटौरा में जॉब कार्ड की संख्या अधिक होने के बावजूद पंचायत को बहुत कम राशि योजना के लिये आवंटित की गई। इसके विपरीत इन विकासखण्ड में कुछ ग्राम ऐसे हैं जिनमें जॉब कार्ड संख्या कम होने के बाद भी उसे ज्यादा पैसे का आवंटन किया गया।

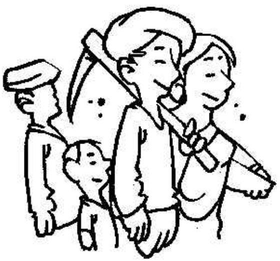

- जैसे कि ज0पं0 उचेहरा में ग्राम पंचायत पिथौराबाद (जाब कार्ड संख्या – 960, धन आवंटन दो लाख रुपए) लोहरौरा (जाब कार्ड संख्या – 593, धन आवंटन एक लाख रुपए मात्र) पतौरा एवं मतरी पतौरा (जाब कार्ड संख्या –475, धन आवंटन दो लाख रुपए) जबकि इसके विपरीत इसी जनपद पंचायत में ग्राम पंचायत गढौत (जाब कार्ड संख्या –565 धन, आवंटन पैंतीस लाख रुपए) बिचवा (जॉब कार्ड संख्या – 311, धन आवंटन पचीस लाख रुपए) अमदरी (जाब कार्ड संख्या –297, धन आवंटन पचीस लाख रुपए) किया गया है।
- सतना जिले के उचेहरा विकासखण्ड में वित्तीय वर्ष 2009–10 के एक माह निकल जाने के बावजूद भी वित्तीय वर्ष 2008–09 के एम0आई0एस0 की फीडिंग में लगभग 70 करोड रुपए (सत्तर करोड. रुपए) की फीडिंग नही कराई गई है। ग्राम पंचायत के अलावा किसी भी कार्यकारी एजेंसी के द्वारा कराए गए कार्यो की फीडिंग एम0आई0एस में नही।

होशंगाबाद

होशंगाबाद जिले के सिवनी–मालवा विकास खण्ड के समरदा पंचायत के आमपुरा गांव की जयवंती/ संतूलाल जरूरी (जॉब कार्ड क्रमांक–12) ने 12–18 फरवरी 2008 में 2 दिन का काम किया फिर दूसरे कूंए में 5 दिन और तीसरे कुंए में 3 दिन काम किया। कुल मिलाकर 10 दिन काम किया परन्तु उसके जॉब कार्ड पर केवल 2 दिन की ही मजदूरी चढ़ाई गई और पासबुक में भी केवल 2 दिन की रुपये 171/– चढ़ाई गई। कई बार सचिव से बात करने पर भी उसे शेष 8 दिन की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया।

अलीराजपुर

अलीराजपुर के सोण्डवा ब्लाक के डूबखेड़ा गांव के जुगनू पिता पहाड़सिंह के खेत तालाब की जाँच के लिए 16 मई 2008 को आवेदन बीडीओ सोण्डवा को दिया। झण्डाणा पंचायत में लाखों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ आज तक जांच नहीं हुई।

मंडला

- मण्डला जिले के मवई ब्लॉक नंदराम ग्राम के सुन्दरलाल/पचखोडी–आदिवासी, प्रदीप/रामदास, दिनेश/गणपत, प्यारे/अमलू, पुनिया/रोलू के नाम से डबरा–डबरी का पैसा निकाल लिया गया जब कि वो बनी ही नहीं है। इसी प्रकार सुनत सिंह/मानसिंह, बिरसी/मानसिंह, दूजा/निक्खो के नाम से मेड़बंधान का पैसा निकाल लिया गया।
- मंडला जिले के बिछिया विकासखण्ड के इंद्रावन ग्राम के डोंगरटोला पंचायत में पिछले 1 साल से मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ। ग्रामीणों के जॉब कार्ड मैट के पास रखे हुए हैं। मैट द्वारा जॉब कार्ड पर गलत प्रविष्टि की गई है।

हितग्राही	राशि	कार्य
सुन्दरलाल/ पचकोड़ी– आदिवासी	32700	डबरा–डबरी
प्रदीप/रामदास	13400	डबरा–डबरी
दिनेश/गणपत	13400	डबरा–डबरी
प्यारे/अमलू	24000	डबरा–डबरी
पुनिया/रोलू	32700	डबरा–डबरी
सुनत सिंह/मानसिंह,	19200	डबरा–डबरी
बिरसी/मानसिंह,	19200	डबरा–डबरी
दूजा/निक्खो	65000	डबरा–डबरी

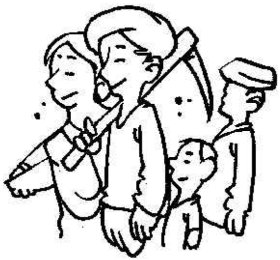

ठेकेदारी

मंडला

- मंडला जिले के नैनपुर ब्लाक के अलीपुर, धतूरा, जामगांव में वर्ष 2007-08, 2008-09 में अधिकांश काम ठेकेदारों ने किये हैं।
- मंडला जिले के मणिपुर ब्लाक के अलीपुर, धतूरा, जामगांव के मजदूरों की पास बुक ठेकेदारों ने अपने पास रख ली है और उनसे आहरण पर्ची पर पहले से दस्तखत करवा के रख लिया है। यह स्थिति सिर्फ इन 3 गांव में नहीं बल्कि मनीपुर के अधिकांश गांव में ये ही स्थिति है।

अधूरे काम

उमरिया

जिला उमरिया के करकेली विकासखण्ड के ग्राम भनपुरा में वर्ष 2007 में नये तालाब का काम शुरू हुआ था जो आज दिनांक तक अधूरा है।

बड़वानी

बड़वानी जिले के सेंधवा ब्लॉक के देवली पंचायत में पिछले वर्ष शुरु हुए वृक्षारोपण के कार्य आज तक अधूरे हैं।

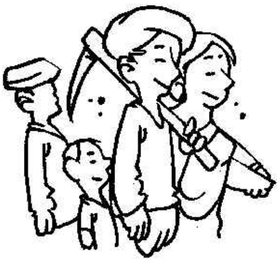

हमारी माँगें

आवेदन व काम मिलना

- आवेदन लेने का दायित्व नियमानुसार हो हर काम और हर रोज़गार का आवेदन लिया जाए और पावती दी जाए।
- यह सुनिश्चित किया जाये कि ग्राम की एकल व विधवा महिलाओं को काम के लिये मना न किया जाये । साथ ही यह रिकॉर्ड रखा जाए के कितनी विधवा एवं एकल महिलाओं को काम मिला है।
- यह साफ़ नज़र आता है कि वन विकास एवं वनीकरण का काम नरेगा में प्राथमिकता पर नहीं है। इस काम पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए और लगाये गए वनों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी नरेगा के तहत समुदाय को दी जाए।
- कपिल धारा के अलावा जो काम अधूरे है उन्हे तत्काल पूरा करने के निर्देश दिये जायें।

बेरोजगारी भत्ता व मजूदरी मुआवजा

- जहां पर लोगों को आवेदन देने के बाद भी काम नहीं मिल रहा है, वहां पर बेरोजगारी भत्ते देने की जिम्मेदारी जनपद स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी की सुनिश्चित की जाये ।
- जहाँ 15 दिनों में मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है अब वहां नियमों का कडाई से पालन कराया जाए और मुआवजा के प्रावधान को जवाबदेहिता के साथ लागू कराया जाए।
- मजूदरी के भुगतान के विलंब की स्थिति में मजदूरी मुआवजा अधिनियम 1936 के तहत् मुआवजा पाने का अधिकार है, अतएव राज्य शासन को चाहिये कि वह तत्काल प्रभाव से इस संबंध में परिपत्र जारी करे। साथ ही मुआवजे देने की जिम्मेदारी जनपद स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी की सुनिश्चित की जाये।

कपिलधारा

- कपिलधारा योजना के सभी कुंओं की बकाया मजदूरी का भुगतान तत्काल किया जाये ताकि लोगों को पलायन रुक जाये।
- अब जरुरी है कि सतह पर पानी के संरक्षण पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित हो। कुओं की अधिकता से भू जल स्तर और सत्रोतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- कपिलधारा के अधूरे पड़े कुंओं को तत्काल पूरा करने के निर्देश जारी किये जायें।
- कपिलधारा योजनांर्तगत् समस्त कुंओं के साथ पुर्नभरण संरचनाओं का बनाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- कूप बनने के पहले अनिवार्य रुप से भूजल स्तर की जांच की जाये और जिन ईलाकों को भूमिगत जल प्रबंध विभाग द्वारा भूजल की दृष्टि से गंभीर बताया गया है, उन जिलों में नवीन कूप निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाये ।

खाते खुलने की प्रक्रिया

- ★ ग्राम से बैंक/पोस्टऑफिस की दूरी 5 किमी. से अधिक न हो।
- ★ मजूदरों के खाते खुलने की जानकारी गांव में डोंडी पिटवाकर एवं ग्राम की दीवार अथवा
- ★ ग्राम पंचायत में चस्पा की जाये।
- ★ बैंक खातों के उपयोग के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाए।
- ★ प्रशासन की ओर से समय–समय पर क्षेत्र भ्रमण के दौरान इसकी जांच की जाये।
- ★ यह सुनिश्चित किया जाये कि खाता खुलवाने के लिये हितग्राहियों से पैसा न लिया जाये।
- ★ यह आदेशित किया जाये कि रोजगार गांरटी योजना के अंर्तगत् खोले जा रहे खातों को उपयोग हितग्राही द्वारा अन्य कामों के लिये भी किया सकता है।
- ★ तत्काल यह सुनिश्चित हो की पास बुक मजदूरों को मिल जाए।

पारदर्शिता/सामाजिक अंकेक्षण

- ★ सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को नियमित किया जाये तथा उसमें ग्राम सभा की भूमिका सुनिश्चित की जाये ।
- ★ एमआईएस के माध्यम से समस्त गांवों के सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट वेबसाईट पर आम जनता के लिये उपलब्ध कराई जाये।
- ★ सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया सुचारु रुप से चले, यह सुनिश्चित किया जाये।
- ★ यह सुनिश्चित किया जाये कि हितग्राहियों के जॉब कार्ड व पास बुक हितग्राहियों के पास हो।

जनसुविधाओं की स्थिति

- ★ रोजगार गारंटी अंतर्गत् 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को झूलाघर की सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु उन्हें आंगनवाड़ी से जोड़ा जाये तथा एक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय रो.गा.यो. के मद से निकाला जाये।

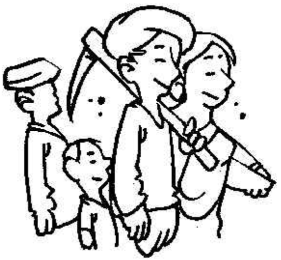

संलग्नक क्र. 1 - काम का अधिकार

जिले का नाम	गांवों की संख्या	काम के लिये आवेदन दिये जाते हैं		आवेदन के बाद पावती मिलती है (आवेदन देने वालों की संख्या के आधार पर)		काम 15 दिनों में मिल जाता है (आवेदन देने वालों की संख्या के आधार पर)		काम न मिल पाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता मिलता है (आवेदन देने वालों की संख्या के आधार पर)	
		हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं
डिण्डौरी	5 (78)	28	50	6	22	1	27	0	27
छतरपुर	5 (110)	22	88	9	13	3	19	0	22
सिवनी	5 (89)	25	64	4	21	8	17	0	25
छिंदवाड़ा	5 (98)	35	63	0	35	20	15	0	35
रीवा	5 (135)	68	67	12	56	15	53	0	68
सतना	5 (118)	28	90	7	21	2	26	0	28
शिवपुरी	5 (119)	23	96	3	20	1	22	0	23
अशोकनगर	5 (96)	45	51	0	45	0	45	0	45
गुना	3 (47)	12	35	1	11	1	11	0	12
धार	5 (134)	32	102	12	20	3	29	0	32
झाबुआ	5 (178)	42	136	8	34	1	41	0	42
अलीराजपुर	4 (108)	24	84	0	24	0	24	0	24
खंड़वा	5 (165)	33	132	5	28	2	31	0	33
टीकमगढ	5 (150)	45	105	12	33	5	40	0	45
श्योपुर	5 (129)	24	105	6	18	0	24	0	24
भोपाल	5 (127)	29	98	12	17	5	24	0	29
मंड़ला	5 (115)	34	81	10	24	2	32	0	34
अनुपपुर	5 (127)	38	89	4	34	0	38	0	38
सीधी	5 (125)	29	96	9	20	1	28	0	29
पन्ना	5 (103)	44	59	1	43	10	34	0	44
होशंगाबाद	5 (100)	23	77	9	14	20	80	0	23
उमरिया	5 (132)	34	98	14	20	5	29	0	34
बड़वानी	5 (182)	45	137	30	15	0	45	30	15
कुल	112(2765)	762	2003	174	588	105	657	30	732
प्रतिशत्	100	28	72	23	77	14	86	4	96

संलग्नक क्र. 2 - भुगतान में विलंब

जिले का नाम	गांवों की संख्या	काम के बाद 7-15 दिनों में मजदूरी का भुगतान होता है?		क्या कभी 6 महीनों में या उसके बाद तक मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ?		क्या विलंब से भुगतान में मजदूरी मुआवजा अधिनियम 1936 के अंतर्गत मुआवजा मिला क्या?		क्या सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिल रही है?	
		हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं
डिण्डौरी	5 (78)	0	78	73	5	0	78	0	78
छतरपुर	5 (110)	0	110	98	12	0	110	0	110
सिवनी	5 (89)	0	89	10	79	0	89	0	110
छिंदवाड़ा	5 (98)	0	98	5	93	0	98	0	98
रीवा	5 (135)	0	135	15	120	0	135	0	135
सतना	5 (118)	0	118	24	94	0	118	0	118
शिवपुरी	5 (119)	0	119	25	94	0	119	0	119
अशोकनगर	5 (96)	0	96	12	84	0	96	0	96
गुना	3 (47)	0	47	11	36	0	47	0	47
धार	5 (134)	0	134	18	116	0	134	0	134
झाबुआ	5 (178)	0	178	69	109	0	178	0	178
अलीराजपुर	4 (108)	0	108	23	85	0	108	0	108
खंड़वा	5 (165)	0	165	75	90	0	165	0	165
टीकमगढ	5 (150)	0	150	25	125	0	150	0	150
श्योपुर	5 (129)	0	129	20	109	0	109	0	109
भोपाल	5 (127)	0	127	7	120	0	127	0	127
मंड़ला	5 (115)	0	115	28	87	0	115	0	115
अनुपपुर	5 (127)	0	127	35	92	0	127	0	127
सीधी	5 (125)	0	125	29	96	0	125	0	125
पन्ना	5 (103)	0	103	25	78	0	103	0	103
होशंगाबाद	5 (100)	0	100	18	82	0	100	0	100
उमरिया	5 (132)	0	132	31	101	0	132	0	132
बड़वानी	5 (182)	0	182	32	150	0	182	0	182
कुल	112(2765)	0	2765	708	2057	0	2765	0	2765
प्रतिशत्		0	100	25	75	0	100	0	100

संलग्नक क्र. 3 - कपिलधारा योजना

जिले का नाम	गांवों की संख्या	कपिलधारा योजना में गांव में खुदे सभी कुंओं के साथ पुनर्भरण संरचनायें बनीं		क्या समस्त गांवों में कुंओं का निर्माण पूर्ण हो गया है		कुंओं के निर्माण कार्य में प्रयुक्त की गई सामग्री हेतु क्या हितग्राही द्वारा पैसा दिया गया है		कुंए के निर्माण के बाद राशि का भुगतान हो गया	
		हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं
डिण्डौरी	5 (78)	0	78	0	5	70	8	9	69
छतरपुर	5 (110)	0	110	1	4	99	11	0	110
सिवनी	5 (89)	0	89	1	4	80	9	0	89
छिंदवाड़ा	5 (98)	2	96	2	3	96	2	0	98
रीवा	5 (135)	0	135	0	5	120	15	5	130
सतना	5 (118)	0	118	0	5	100	18	18	100
शिवपुरी	5 (119)	0	119	1	4	109	10	19	100
अशोकनगर	5 (96)	0	96	1	4	88	8	87	9
गुना	3 (47)	0	47	2	3	40	7	4	43
धार	5 (134)	4	130	1	4	109	25	09	125
झाबुआ	5 (178)	0	178	1	4	122	56	09	169
अलीराजपुर	4 (108)	0	108	2	3	100	08	25	83
खंड़वा	5 (165)	0	165	0	5	140	25	20	145
टीकमगढ	5 (150)	0	150	1	4	132	18	25	125
श्योपुर	5 (129)	9	120	1	4	120	9	22	107
भोपाल	5 (127)	0	127	2	3	117	10	31	96
मंड़ला	5 (115)	0	115	1	4	105	10	22	93
अनूपपुर	5 (127)	0	127	1	4	120	7	10	117
सीधी	5 (125)	0	125	1	4	100	25	27	98
पन्ना	5 (103)	0	103	1	4	103	0	3	100
होशंगाबाद	5 (100)	10	90	0	5	100	0	12	88
उमरिया	5 (132)	0	132	0	5	119	13	125	07
बड़वानी	5 (182)	0	182	2	3	170	12	175	07
कुल	112(2765)	**25**	**2740**	**22**	**90**	**2459**	**281**	**657**	**2108**
प्रतिशत्		**0.9**	**99.01**	**20**	**80**	**89**	**11**	**24**	**76**

संलग्नक क्र. 4 - खाते खुलना

जिले का नाम	गांवों की संख्या	क्या गांव के सभी लोगों के खाते खुल गये हैं?		खाता खुलने के समय हितग्राही द्वारा कहीं पर पैसे दिये गये हैं?		क्या सभी पोस्ट ऑफिस/बैंक प्रतिदिन भुगतान करने की स्थिति में हैं?		क्या पोस्ट ऑफिस/बैंक के पास पर्याप्त स्टॉफ है?		क्या लोगों को यह सुविधा पसंद आ रही है?	
		हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं
डिण्डौरी	5 (78)	25	53	78	0	0	78	0	78	20	58
छतरपुर	5 (110)	22	88	110	0	0	110	0	110	12	98
सिवनी	5 (89)	13	76	89	0	0	89	0	89	0	89
छिंदवाड़ा	5 (98)	23	75	98	0	0	98	0	98	5	93
रीवा	5 (135)	15	120	135	0	0	135	0	135	23	112
सतना	5 (118)	13	105	118	0	0	118	0	118	18	100
थ्शवपुरी	5 (119)	26	93	119	0	0	119	0	119	0	119
टशोकनगर	5 (96)	10	86	96	0	0	96	0	96	12	84
गुना	3 (47)	09	38	47	0	0	47	0	47	11	36
धार	5 (134)	15	119	134	0	0	134	0	134	0	134
झाबुआ	5 (178)	12	166	178	0	0	178	0	178	13	165
अलीराजपुर	4 (108)	19	89	108	0	0	108	0	108	12	96
खंड़वा	5 (165)	17	148	165	0	0	165	0	165	0	165
टीकमगढ	5 (150)	12	138	150	0	0	150	0	150	28	122
श्योपुर	5 (129)	21	108	129	0	0	129	0	129	5	124
भोपाल	5 (127)	36	91	127	0	0	127	0	127	11	116
मंड़ला	5 (115)	28	87	115	0	0	115	0	115	0	115
अनूपपुर	5 (127)	12	115	127	0	0	127	0	127	12	115
सीधी	5 (125)	09	116	125	0	0	125	0	125	28	97
पन्ना	5 (103)	40	63	103	0	0	103	0	103	13	90
होशंगाबाद	5 (100)	20	80	100	0	0	100	0	100	10	90
उमरिया	5 (132)	12	120	132	0	0	132	0	132	13	119
बड़वानी	5 (182)	63	119	182	0	0	182	0	182	25	157
कुल	112(2765)	472	2293	2765	0	0	2765	0	2765	271	2494
प्रतिशत्		17	83	100	0	0	100	0	100	10	90

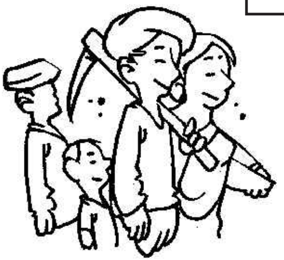

संलग्नक क्र. 5 - जिन गाँवों में अध्ययन किया गया है उनकी सूची

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड के नाम	गांव/पंचायत के नाम
1.	डिण्डौरी	1. समनापुर	1. जाड़ासुरंग 2. साल्हेगोरी 3. बाम्हनी 4. मोहती 5. साल्हेगांव 6. घाटा 7. हरसिंघरी 8. मोहगांव
2.	छतरपुर	1. राजनगर	9. लखरावन (पंचायत– कोच) 10. परा (पंचायत–कंदवा) 11. भूसौर (पंचायत – भूसौर) 12. सिंगरौ (पंचायत– धोगुआ) 13. कररी (पंचायत – कररी)
3.	सिवनी	1. कुरई	14. बरेलीपार (पंचा.– विजयपानी) 15. बेलटोला (पंचा.– खाखरा) 16. जनावरखेड़ा (पंचा.–बादलपार) 17. सलई (पंचा.– विजयपानी), 18. कटंगीमुरार (पंचा.– घाटकोटा)
4.	छिंदवाड़ा	1. तामिया	19. चोपना (पंचा.–चोपना), 20. सिरपानी (पंचा.– सिरपानी) 21. धूतापानी (पंचा.– धूतापानी) 22. चावलपानी (पंचा.– चावलपानी) 23. मानेगांव (पंचा.– मानेगांव) 24. करेई (पंचा.– झिरिया)
5.	रीवा	1. जवा	25. कुरैली (पंचा.– कोमी) 26. गढ़ा (पंचा.– गढ़ा) 27. बरोली (पंचा.– बरोली)

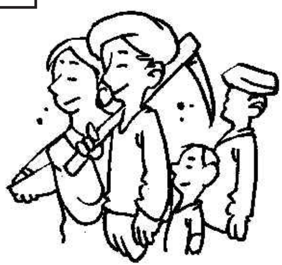

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड के नाम	गांव/पंचायत के नाम
			28. देओखर (पंचा– देओखर) 29. धाकरा (पंचा.– अतरैला)
6.	सतना	1. उचेहरा	30. पिथौराबाद (पंचा.– पिथौराबाद) 31. लहरारा (पंचा.– लहरारा) 32. बांधीमोहार (पंचा.– बांधीमोहार) 33. मानिकपुर (पंचा.– मानिकपुर) 34. पथौरा (पंचा.– पथौरा)
7.	शिवपुरी	1. पिछोर	35. नांद (पंचा.– नांद) 36. दरगंवा (पंचा.– दरगंवा) 37. पिपरौनिया (पंचा.– दुलई) 38. बड़ैरा (पंचा.– बड़ैरा) 39. बमना (पंचा.– बमना)
8.	अशोकनगर	1. ईशागढ़	40. राजगढ़ (पंचा.– भैंतरवार) 41. जामडेरा (पंचा.– जामडेरा) 42. पिपरौटा (पंचा.– मोचर) 43. मोचर (पंचा.– मोचर) 44. अमोला (पंचा.– मामोन)
9.	गुना	1. गुना	45. गादर 46. सिलावटी 47. डांड 48. गडला गिर्द
10.	धार	1. गंधवानी	49. बोरघटा (पंचा– चिखली) 50. वैकल्या (पंचा– वैकल्या) 51. रायपुरिया (पंचा– रायपुरिया)
11.	झाबुआ	1. पेटलावद	52. रूपापाड़ा (पंचा.– कालीघाटी) 53. कास्याखाली (पंचा.– कालीघाटी) 54. कुंवारझर (पंचा.– महुड़ीपाड़ा)

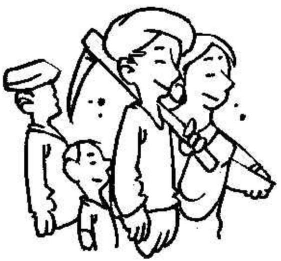

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड के नाम	गांव/पंचायत के नाम
			55. भूरीघाटी (पंचा.– पांचपिपला) 56. लालरूंडी (पंचा.– काजबी) 57. सातरूंडी (पंचा.– करडावत)
12.	अलीराजपुर	1. सोण्डवा	58. अंजनवारा 59. सुगठ 60. झंडाना 61. भितारा 62. डूबखेड़ा 63. बड़ा आम्बा
13.	खण्डवा	1. खालवा	64. मोहालखारी (पंचा– मोहालखारी) 65. चिमईपुर (पंचा– उदियापुर) 66. जमोड़ा (पंचा– उदियापुर) 67. रोशनी (पंचा– रोशनी) 68. चट्टू–बट्टू (पंचा– बागड़ा)
14.	टीकमगढ़	1. जतारा	69. करमौरा (पंचा– करमौरा) 70. कंदवा (पंचा– कंदवा) 71. पण्डरा (पंचा– पण्रा) 72. कुंवरपुरा (पंचा– भगौरा)
15.	श्योपुर	1. विजयपुर	73. बरेड़ (पंचा.– कैंटीखेड़ा) 74. मेघपुर (पंचा.–पोबरा) 75. नयागांव (पंचा.– नयागांव) 76. अहिरवानी (पंचा.– अहिरवानी) 77. पारोन (पंचा.– अहिरवानी)
16.	भोपाल	1. बैरसिया	78. हिनौतिया
17.	मंडला	1. मवई	79. नैगंवा (पंचायत –नंदराम) 80. खमरिया (पंचायत –समनापुरा) 81. केवलारीखुर्द (पंचायत केवलारी खुर्द) 82. केवलारी कला (पंचायत–केवलारी कला) 83. सकवा (पंचायत– सकवा)

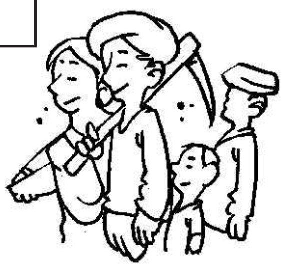

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड के नाम	गांव/पंचायत के नाम
18.	अनूपपुर	1. पुष्पराजगढ़	84. चरकुमार 85. मझौली 86. धोधी 87. परसेल
19.	सीधी	1. सीधी	88. चौपाल कोठार (पंचायत- चौपाल कोठार) 89. कतरीकाड़ी (पंचायत- ऐंथी) 90. माता (पंचायत- माता) 91. बरमानी (पंचायत- बरमानी) 92. सलइहा (पंचायत सलइहा)
20.	पन्ना	1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुनौर	93. सिंहपुर (पंचायत- सिंहपुर) अजयगढ विकासखंड 94. पाठा (पंचायत-बताशा) अजयगढ विकासखंड 95. उदयपुर (पंचायत-उदयपुर) अजयगढ विकासखंड 96. जनावर (पंचा.-जनावर) पन्ना विकासखंड 97. गुनौर (पंचा.-गुनौर) गुनौर विकासखंड
21.	होशंगाबाद	1. सोहागपुर	98. माछा 99. छोटाडूढ़ा, चिचली, भटगांव 100. रेवामुहारी 101. नयाखेडा 102. बडाडूढ़ा 103. शोभापुर
22.	उमरिया	1. करकेली	104. भनपुरा (पंचा- भनपुरा) 105. महुरी (पंचा- महुरी)
23.	बड़वानी	1. सेंधवा	106. देवली (पंचा- देवली) 107. रोजनीमाल (पंचा- रोजनीमाल) 108. जामती (जामती) 109. केरमाला (केरमाला) 110. हिंगवा (हिंगवा)

ई-7/226, धनवंतरी कॉम्पलेक्स के सामने,
अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा, भोपाल. फोन : 0755-4252789
mprighttofood@gmail.com
www.mediaforrights.org